# महाविद्यालय–उद्भव एवं विकास
## (College-Inception and Development)

जनपद उत्तरकाशी के मुख्यालय में अवस्थित इस महाविद्यालय का शुभारम्भ 30 जून 1969 को विज्ञान संकाय के रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं गणित विषयों की स्वीकृति तथा 3 प्राध्यापकों एवं 12 छात्रों के अध्ययन–अध्यापन के साथ हुआ । 1970–71 में वनस्पति विज्ञान एवं जन्तुविज्ञान की कक्षाएं प्रारम्भ हुई। 1972–73 में हिन्दी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास एवं राजनीति विज्ञान के साथ कला संकाय अस्तित्व में आया। 1974 में स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय की स्वीकृति हुई, इसके साथ ही कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में अध्ययन की व्यवस्था हो गई। 1975–76 में महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, हिन्दी, अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान विषयों के अध्ययन की स्वीकृति प्राप्त हुई। प्रगति के इस क्रम में सत्र 1978–79 में अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास एवं भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ हो गई। 1979–80 में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र, चित्रण एवं रंजन कला तथा स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य की कक्षाएं प्रारम्भ हो गई तदुपरान्त 1985–86 में स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान एवं स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विषय के अध्ययन की स्वीकृति प्राप्त हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा सत्र 1999–2000 से विज्ञान संकाय में स्नातक प्रथम वर्ष में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत ''फॉरेस्ट्री एवं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट'' विषय की 30 सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई। सत्र 2001–02 में शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर जन्तुविज्ञान, गणित तथा स्नातक स्तर पर संगीत विषय के अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की गई। सत्र 2009–10 से उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्ववित्त पोषित बी॰एड॰ की कक्षाएं प्रारम्भ की गई। सत्र 2015–16 से समाजशास्त्र, गृहविज्ञान एवं चित्रण रंजन कला में स्नातकोत्तर स्तर पर भी कक्षाएं संचालित हो रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2002–03 से स्नातक प्रथम वर्ष में पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन विषय की स्वीकृति तथा वर्ष 2003–04 में उत्तराखण्ड शासन/उच्च शिक्षा निदेशालय से पी॰जी॰ डिप्लोमा इन इको टूरिज्म, एवं नर्सरी एण्ड आर्चर्ड मैनेजमेन्ट में डिप्लोमा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकृत हुए हैं। इस प्रकार वर्तमान सत्र से महाविद्यालय में स्नातक में 17 विषयों तथा स्नातकोत्तर में 16 विषयों में अध्ययन की सुविधा होगी। महाविद्यालय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) का अध्ययन केन्द्र कोड सं॰–2748 वर्ष 2001 से संचालित हो रहा है। अप्रैल 2010 से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय एवं सत्र 2012–13 से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र भी स्थापित हो चुका है।

सम्प्रति महाविद्यालय में प्राचार्य सहित प्राध्यापकों के 62 पद स्वीकृत हैं तथा लगभग 2500 छात्र–छात्राएं अध्ययनरत हैं। प्रगति के पथ पर अग्रसर इस स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अनेक विषयों में शोधार्थी अध्ययनरत/शोधरत हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पोषित अनेक शोध परियोजनाएं संचालित हैं। वर्ष 2005 में उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस महाविद्यालय को विशिष्ठ महाविद्यालय घोषित किया जा चुका है। यह महाविद्यालय छ।ब्ब (नैक) द्वारा ठ++ग्रेड में प्रत्यायित (ब्बतमकपजमक) एवं ठ ग्रेड में पुनःप्रत्यायित (reaccredited) है ।

# सम्बद्धता (Affiliation)

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध इस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश, पाठयक्रम, परीक्षा और अनुशासन हेतु विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा समय–समय पर निर्गत नियम/आदेश/निर्देश प्रभावी होते हैं।

# 1. प्रवेश प्रक्रिया एवं सामान्य प्रवेश नियम
# (Admission Process and General Rules of Admission)

प्रवेशार्थी आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व निम्नांकित नियम अवश्य पढ़ लें तथा प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक अर्हता पूर्ण करने के पश्चात ही प्रवेश आवेदन पत्र भरें। जिस प्रवेशार्थी के पास न्यूनतम आवश्यक अर्हता नहीं है, फिर भी वह आवेदन करता है तो वह किसी भी प्रकार के प्रवेश का दावेदार नहीं होगा।

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र विवरणिका सहित कार्यालय से निर्धारित शुल्क देने पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ श्रेष्ठता/मेरिट एवं पंजीकरण आवेदन–पत्र भी संलग्न है। **प्रवेशार्थी**

   **श्रेष्ठता/मेरिट एवं पंजीकरण आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के बाद निर्धारित तिथि तक इसे अनिवार्य रुप से महाविद्यालय में जमा करेगा तथा मेरिट में नाम आने पर ही प्रवेश आवेदन–पत्र जमा करेगा।** श्रेष्ठता आवेदन–पत्र में जिस वर्ग में आरक्षण लेना चाहते हैं, उस वर्ग का आरक्षण प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के समय लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अपूर्ण श्रेष्ठता (मेरिट) एवं पंजीकरण आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगें। मेरिट फार्म में दी गई सूचना को वास्तविक (सत्य) मानते हुये मेरिट तैयार की जाएगी जो कि अपरिवर्तनीय होगी, और गलत सूचना के आधार पर किसी भी विसंगति के लिये प्रवेशार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यह जानना भी महत्वपूर्ण है के मेरिट सूची में नाम आने पर यदि निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा नहीं किया जाता है ता आपकी दावेदारी स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। और आपके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से क्रमानुसार दूसरे प्रवेशार्थी को अवसर प्रदान किया जायेगा। अतः सभी सूचनायें भली–भांति सोच समझकर भरें।

2. स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न संकायों/विषयों में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी अलग–अलग आवेदन–पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा एक प्रवेश आवेदन–पत्र के आधार पर अन्य संकाय/विषयों में प्रवेश पर विचार संभव नहीं होगा।

3. प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें। प्रमाण पत्रों के अभाव में आवेदन पत्र जमा नहीं किया जाएगा।

   (अ) अन्तिम शिक्षण संस्था द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी॰सी॰) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (सी॰सी॰)। (ब) विगत समस्त परीक्षाओं के अंक पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ।

   (स) हाईस्कूल प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि (आयु प्रमाण पत्र के लिये)। (द)

   पासपोर्ट आकार के नवीनतम चार रंगीन फोटो।

   (य) विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद तथा एन॰एस॰एस॰/स्काउट/ध्रुवपद/ गुरुपद/ साक्षरता/ एन॰सी॰सी॰ प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ।

(र) अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् एक वर्ष से अधिक अन्तराल (गैप पीरियड) होने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। एक वर्ष के अन्तराल होने पर प्रवेशार्थी को स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम (छः माह से अधिक पुराना न हो) चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है। जिन कक्षाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर होंगे वहाँ एक वर्ष के गैप हेतु 5 अंक मेरिट से घटा दिये जायेंगे।

(ल) समस्त तृतीय वर्ष में व्यक्तिगत प्रवेशार्थी को प्रवेश के समय राजपत्रितअधिकारी/ सांसद/विधानसभा/विधान परिषद के सदस्य द्वारा प्रदत्त आचरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

(व) अनुसूचित जाति/जनजाति/उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/विकलांग प्रवेशार्थियों को सक्षम अधिकारी (एस॰डी॰एम॰/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार) द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र व आय प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

4. **प्रवेश के लिए आवश्यक समस्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ ही जमा करने होंगे।** आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई प्रपत्र आवेदन पत्र में संलग्न नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार करना सम्भव नहीं होगा। जिस छात्र/छात्रा के प्रमाण पत्रों में नाम की त्रुटि है, उसे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि दोनों नाम उसी के हैं। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ वोटर आई॰डी॰ (मतदाता पहचान पत्र) की फोटोकापी लगाना अनिवार्य है।
5. स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट या समकक्षीय परीक्षा में 45 प्रतिशत कला एवं वाणिज्य के लिए स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए 40 प्रतिशत अंक आवश्यक है परन्तु 44.9 प्रतिशत अथवा 39. 9 प्रतिशत को क्रमशः 45 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत नहीं माना जायेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये प्रवेश अर्हता में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट होगी।
6. यदि कोई बाह्य अथवा व्यक्तिगत छात्र/छात्रा स्नातक तृतीय वर्ष में प्रवेश लेना चाहता है तो स्थान रिक्त होने की स्थिति में अर्हता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक कला/वाणिज्य के लिये 40 प्रतिशत एवं विज्ञान के लिये 45 प्रतिशत होने की दशा में ही प्रवेश दिया जा सकता है।
7. आरक्षण लाभ उत्तराखण्ड शासनादेश सं॰ 1144/कार्मिक/2/2001/53 (1)/2001 द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप अनुमन्य होगा। इसके लिये अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करने पर क्रमशः 19 प्रतिशत, 4 प्रतिशत व 14 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी के प्रवेश में निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

(क) महिलायें 30 प्रतिशत (ख) भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत

(ग) विकलांग 03 प्रतिशत (घ) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 02 प्रतिशत

महिला/पुरुष जिस वर्ग से संबन्धित होंगे उन्हें उसी वर्ग में क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा। परन्तु उपर्युक्त सभी आरक्षण तभी मान्य होगें जब प्रवेशार्थी प्रवेश सम्बन्धी न्यूनतम अर्हता रखते हों। उत्तराखण्ड शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत जिन जातियों को अधिसूचित किया गया है, उनको ही "अन्य पिछड़े वर्ग" के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

8. **स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर केवल प्रथम वर्ष में एक बार अनुत्तीर्ण हुए इस महाविद्यालय के संस्थागत छात्र/छात्रा को ही संकाय बदलकर प्रवेश दिया जायेगा। एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण छात्र/छात्रा को संकाय बदलकर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।**

9. गत वर्ष के महाविद्यालय के संस्थागत छात्रों के लिये प्रवेश आवेदन पत्र के साथ विगत परीक्षा के अंक पत्र की सत्यप्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक है। संस्थागत छात्रों के अतिरिक्त अन्य प्रवेशार्थियों के लिये प्रथम बार प्रवेश लेते समय समस्त परीक्षाओं के अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां जमा करनी आवश्यक है।

10. स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर केवल प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश मेरिट के आधार पर उपलब्ध संसाधनों व स्वीकृत सीटों की संख्या के अन्तर्गत ही दिया जायेगा।

**11. स्नातक तृतीय सेमेस्टर में वे ही विद्यार्थी प्रवेश पा सकते हैं जिनके कम से कम 18 क्रेडिट हैं तथा स्नातक पंचम सेमेस्टर में वे ही विद्यार्थी प्रवेश पा सकेंगे, जिनके कम से कम 36 क्रेडिट हैं। स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में भी प्रवेश हेतु विद्यार्थी के कम से कम 18 क्रेडिट होने चाहिए।**

12. संकाय अथवा विषय बदल कर किसी भी छात्र/छात्रा को उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। जिसकी परीक्षा विद्यार्थी एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो। जैसे एक विषय में एम॰ए॰/एम॰काम॰/एम॰ एस–सी॰ उपाधि प्राप्तकर्ता को पुनः दूसरे विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

13. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेशार्थियों के आवेदन पत्र सम्बन्धित विभाग में निर्धारित तिथि के पश्चात जमा नहीं किये जायेंगे।

14. एम॰ए॰/एम॰काम॰/एम॰ एस–सी॰ प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष की अंकतालिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ जमा करनी आवश्यक है।

15. स्नातक/सनातकोत्तर स्तर पर दो प्रवेशार्थियों के मेरिट सूचकांक बराबर होने पर सम्बन्धित विषय के कुल अंको के सूचकांक के आधार पर मेरिट तय की जायेगी। सम्बन्धित विषय के कुल अंको के बराबर होने पर प्रवेशार्थी की मेरिट उसके उस विषय के केवल सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र (थ्योरी पेपर) अंकों के आधार पर ही तय होगी। जहां प्रयोगात्मक विषय न हो जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

16. स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेशार्थी प्रवेश के लिये अर्ह होगा, जो विषय उसके स्नातक स्तर पर मुख्य विषय रहे होंगे।

17. स्नातक प्रथम वर्ष के व्यावसायिक पाठयक्रम में प्रवेश, साक्षात्कार में सम्मिलित हुये प्रवेशार्थियों की मेरिट के आधार पर यू॰जी॰सी॰/शासन द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या के अन्तर्गत ही किये जायेंगे।

18. प्रवेशार्थियों द्वारा प्रवेश के समय आवेदन पत्र पर यदि कोई भी विवरण असत्य पाया गया तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, तथा उन पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

19. शासकीय आदेश सं॰अ॰शा॰ 2421/15–10–85–15/134/86 दिनांक 8 मई 1987 के अनुसार अवांछनीय तत्वों अथवा अध्ययन में रुचि न रखने वाले छात्र/छात्राओं को प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। यदि प्रवेश दिया जा चुका है तो इस तथ्य का पता लगने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

20. एक बार प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश नहीं हो सका है, अन्यत्र प्रवेश लेने के पश्चात स्थानान्तरण से प्रवेश चाहता है तो उसको प्रवेश नहीं दिया जायेगा साथ ही मिथ्या एवं अपूर्ण सूचनाएं प्रकाश में आने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

21. सभी कक्षाओं में प्रवेश के लिये 90 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के निवासियों के लिये होंगी। उत्तराखण्ड के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर इस प्रतिबन्ध के साथ ही प्रवेश मिल सकेगा कि वे वरीयता सूचकांक में अर्ह होंगे। इन्हीं 10 प्रतिशत स्थानों में नियमानुसार आरक्षण प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को देय होगा।

22. प्रवेश आवेदन पत्रों पर प्राचार्य द्वारा नियुक्त साक्षात्कार समिति विचार करेगी तथा प्रवेशार्थियों को सूचना पट्ट पर सूचना देकर साक्षात्कार हेतु सूचित किया जायेगा। प्रवेशार्थी को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। अनुपस्थित प्रवेशार्थियों के आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जायेगा।

23. प्रवेश हेतु स्वीकृत विद्यार्थियों की सूची महाविद्यालय/विभागीय सूचनापट्ट पर लगा दी जायेगी। छात्र/छात्रा से इस संदर्भ में अलग से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।

24. शिक्षा सत्र के मध्य में स्थानान्तरण के कारण सेवारत कर्मचारियों के पाल्यों (पुत्र/पुत्री/पत्नी) के प्रवेश आवेदन पत्र पर तभी विचार किया जायेगा जब रिक्त स्थान हों तथा उन्होंने जनपद में कार्यभार ग्रहण कर लिया हो, ऐसे कर्मचारियों को स्थानान्तरण एवं कार्यभार ग्रहण करने की प्रतिलिपि भी आवेदन पत्र के साथ जमा करनी आवश्यक है।

25. सेवारत प्रवेशार्थियों को अपने नियोजक/संरक्षक अधिकारी से प्रवेश हेतु लिखित अनुमति प्रस्तुत करनी होगी अनुमति के अभाव में प्रवेश देय नहीं होगा। महाविद्यालय में प्रवेश के दौरान अन्यत्र सेवा में संलग्न व्यक्तियों के अनुमति पत्र में कोई भी त्रुटिपूर्ण सूचना देने सम्बन्धी समस्त दायित्व सम्बन्धित छात्र का होगा, गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना के संज्ञान में आने पर पुलिस कार्यवाही/एफ॰आई॰आर॰ दर्ज की जायेगी।

26. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर अधिकतम छः (6) वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम चार (4) वर्ष के अन्तर्गत ही अध्ययन करने की सुविधा होगी। इस अवधि में 1–1 साल का गैप भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त अध्ययन करने की अनुमति नहीं होगी।

27. शासन/विश्वविद्यालय से वर्तमान सत्र हेतु अतिरिक्त प्रवेश नियम प्राप्त होने पर भी तदनुसार आवश्यक परिवर्तन कर दिया जायेगा।

28. प्राचार्य को बिना कारण बताए प्रवेश अस्वीकृत करने, न देने एवं निरस्त करने का अधिकार है।

29. स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर जहां प्रवेश हेतु सीटें निर्धारित है उनमें सीट रिक्त होने पर भी प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

30. स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की कक्षाओं को छोड़कर अन्य कक्षाओं में प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा/बैक पेपर परीक्षा के परीक्षाफल निकलने के 10 दिन के अन्दर अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

**31. दूसरे विश्वविद्यालय से स्थानान्तरित होकर आये छात्र/छात्राओं का प्रवेश विश्वविद्यालय की अनुमति के उपरान्त ही देय होगा। परन्तु महाविद्यालय से प्रार्थना पत्र को अग्रसारित कराया जाना अनिवार्य है।**

32. प्रवेश प्रतिबन्ध :–निम्नांकित श्रेणी के प्रवेशार्थी प्रवेश के पात्र नहीं होगें। (अ) किसी भी कारण से विगत परीक्षा में सम्मिलित होने से रोके जाने पर।

(ब) विगत वर्षों में जिनका आचरण अनुशासन मंडल/प्राचार्य के विचार से असंतोषजनक रहा हो। (स) अनुचित साधन प्रयोग करने के अंतर्गत दण्डनीय छात्र/छात्रा

(द) अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 1 वर्ष से अधिक का व्यवधान होने पर।

(ध) स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात पुनः विषय/संकाय बदलकर प्रवेश हेतु आवेदन करने पर।

33. दूसरे विश्वविद्यालय से आये छात्रों को प्रवजन प्रमाण–पत्र परीक्षा फार्म के साथ जमा करना अनिवार्य है।

34. छात्र/छात्रा द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि उसके उत्तीर्ण होने के एक वर्ष तक ही सुरक्षित रखी जायेगी। तदुपरान्त वह निरस्त समझी जायेगी।

35. विश्वविद्यालय अथवा शासन से अतिरिक्त निर्देशों के प्राप्त होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी शुल्क में परिवर्तन/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

36. संस्थागत छात्र उपाधि/डिप्लोमा/सार्टिफिकेट हेतु एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा और न ही अन्य उपाधि/डिप्लोमा/सार्टिफिकेट हेतु परीक्षा में शामिल होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लघंन कर परीक्षा में शामिल हो जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी। उदाहरणार्थ–बी॰ए॰/बी॰एस–सी॰/बी॰कॉम॰ में अध्ययनरत संस्थागत छात्र/छात्रा बी॰टी॰सी॰/ पॉलिटैक्निक/फार्मेसी/आई॰टी॰आई॰/अन्य कक्षाओं में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। एड–ऑन सार्टिफिकेट पर यह नियम लागू नहीं होगा।

37. उत्तराखण्ड प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

38. हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग (जिसके प्रधान डा॰ प्रभात शास्त्री हैं) 12 सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद से अंग्रेजी विषय लेकर 10+2 पांच विषयों सहित मध्यमा (विशारद) परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी बी॰ए॰ प्रथम वर्ष में प्रवेश ले सकेंगे। इसकी सत्यता हिन्दी साहित्य सम्मेलन 12 सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद से की जायेगी।

39. इस सत्र में एकल विषय में प्रवेश की सुविधा स्नातक तृतीय वर्ष में ही मान्य है। एक विषय में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को शुल्क विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के नियमों के आधार पर देना होगा।

40. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (पूर्वतः रा॰मु॰वि॰) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्न्तगत सीनियर सेकेण्डरी स्कूल (10+2) पांच विषयों सहित उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

**41. महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित परिधान (ड्रेसकोड) मे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। निर्धारित परिधान में न आने पर महाविद्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित होगा। 42. प्रवेश के समय विद्यार्थियों को विषयों का चयन अच्छी प्रकार सोच समझकर करना चाहिए। शुल्क**

**जमा होने के पश्चात् किसी भी स्थिति में विषय परिवर्तन नहीं होगा।**

**43. प्रवेशार्थी शुल्क जमा रसीद की तीन पूरित प्रतियों को प्रवेश समिति से प्राप्त कर जिला सहकारी बैंक की दो शाखाओं**

**(क) मुख्य शाखा (स्टेट बैंक के सामने) मुख्य बाजार उत्तरकाशी ।**

**(ख) सायंकालीन शाखा भैरव चौक बाड़ाहाट उत्तरकाशी । (अपराह्न 2:00 बजे से 5:00 बजे तक) में से किसी एक शाखा में निर्धारित शुल्क जमा कर मात्र "विद्यार्थी वाली रसीद" बैंक से प्राप्त कर महाविद्यालय के डाटाएन्ट्री प्रकोष्ठ पर उपलब्ध करायें, ऐसा करने पर ही प्रवेश पूर्ण हुआ माना जायेगा।**

44. गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड शासन तथा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यार्थी की कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। आगामी सत्र से विद्यार्थी की कम उपस्थिति की सूचना एस॰एम॰एस॰ द्वारा अभिभावक को प्रेषित की जायेगी।

45. महाविद्यालय के परिसरों/छात्रावास में छात्र–छात्राओं का प्रेवश परिचय–पत्र जाँच के उपरान्त ही किया जायेगा। अभिभावकों/बाह्य व्यक्तियों के लिए प्रवेशन पंजिका बनायी जायेगी।

46. सत्र 2015–16 से हे॰न॰ब॰ गढ़वाल विश्वविद्यालय ने स्नातक स्तर पर भी चयन आधारित क्रेडिट पद्धति लागू कर दिया है।



(Choice Based Credit System)

# 2. महाविद्यालय स्तर पर संकायवार सीटों की उपलब्धता
## (Faculty wise Availability of Seats)

मा॰ उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर च्स्प् छव 164/2013 के आलोक में दिनांक 11–04–2014 को निर्गत अन्तरिम आदेश, शासन द्वारा निर्गत निर्देशों एवं हे॰न॰ब॰ गढ़वाल वि॰वि॰ के पत्रांक मान्यता/1843/1844 दिनांक 21–01–2015 एवं पत्रांक विविध/1938/दिनांक 25–03–2015 के अनुसार इस महाविद्यालय में प्रत्येक विषय में सत्र 2016–17 में सीटों की संख्या निम्नवत रहेगीः–

### (अ) विज्ञान संकाय

| क्र॰ सं॰ | विषय | स्नातक प्रथम वर्ष | स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | भौतिक विज्ञान | 120 | 15 |
| 2 | गणित | 120 | 30 |
| 3 | रसायन विज्ञान | 270 | 15 |
| 4 | जन्तु विज्ञान | 150 | 15 |
| 5 | वनस्पति विज्ञान | 150 | 15 |
| | कक्षा में कुल प्रवेश | 270 | 90 |

### (ब) कला संकाय

| क्र॰ सं॰ | विषय | स्नातक प्रथम वर्ष | स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | हिन्दी | 150 | 30 |
| 2 | संस्कृत | 150 | 30 |
| 3 | अंग्रेजी | 150 | 30 |
| 4 | राजनीति विज्ञान | 150 | 30 |
| 5 | समाज शास्त्र | 150 | 30 |
| 6 | अर्थशास्त्र | 150 | 30 |
| 7 | इतिहास | 150 | 30 |
| 8 | भूगोल | 150 | 30 |
| 9 | गृहविज्ञान | 60 | 20 |
| 10 | चित्रण एवं रंजन कला | 60 | 10 |
| 11 | संगीत | 30 | ... |
| कक्षा में कुल अधिकतम प्रवेश | | 450 | 260 |

### (स) वाणिज्य संकाय

| स्नातक प्रथम वर्ष | स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष |
|---|---|
| 80 | 30 |

### (द) शिक्षा संकाय (स्व वित्त पोषित)

| | |
|---|---|
| बी॰एड॰ | 50 |

शासनादेश सं॰ 2408/XXIV (7) 2014-22 (4) 13 दिनांक 29 अगस्त 2014 के अनुसार महाविद्यालय में सत्र 2014–15 से सांयकालीन कक्षाएं संचालित की जा रही है। शासनादेश सं॰ 1864/जी॰एस॰/शिक्षा/। 11.21 (1) /2014 दिनांक 10.09.2014 द्वारा सीटों का निर्धारण निम्नवत किया गया ।

# 3. सी0बी0सी0एस0 (Choice Based Credit System)

1. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के निर्देश पर सी॰बी॰सी॰एस॰ (Choice Based Credit System) स्नातक स्तर पर लागू हो गया है।
2. स्नातकोत्तर स्तर पर पहले से ही सी॰बी॰सी॰एस॰ (बिवपबम ठेंमक ब्तमकपज ैलेजमउ) लागू है।
3. स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में सी॰बी॰सी॰एस॰ के अन्तर्गत पाठयक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत दिया गया है। स्नातक पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम का संक्षिप्त विवरण सत्र 2017–18 की विवरणिका में दिया जायेगा।

## 1. सी॰बी॰सी॰एस॰ के अन्तर्गत स्नातक (बी॰ए॰) के पाठ्यक्रम का विवरण

### बी॰ए॰ प्रथम सेमेस्टर (B.A.-I Semester Course) हेतु पाठ्यक्रम

| क्र॰सं॰ | पाठ्यक्रम का स्वरूप | पाठ्यक्रम का नाम |
|---|---|---|
| 1. | Ability Enhancement Compulsory Course (AECC) | Environmental Science |
| 2. | English/MIL ( Core Compulsory) | 1. Language English<br>2. Language Hindi : (आधुनिक भारतीय भाषा हिन्दी)<br>MIL(Hindi)-1A : हिन्दी भाषा और साहित्य **(हिन्दी से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये)**<br>MIL(Hindi)-1B : हिन्दी गद्य का उद्भव और विकास **(हिन्दी से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये)**<br>3. MIL (Sanskrit)-1A : नीति साहित्यम् **(संस्कृत से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये)**<br>MIL (Sanskrit)-1B : उपनिषद् और गीता **(संस्कृत से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये)**<br>MIL (Sanskrit)-1C : संस्कृत साहित्यम् **(संस्कृत से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये)**<br>**(छात्र/छात्राएं किसी एक भाषा एवं एक प्रश्न पत्र का चयन करें)।** |
| 3. | DSC-1 (A) (Core Course) | **हिन्दीः–** हिन्दी साहित्य का इतिहास<br>English:- (a) Chapters from Individual & Society- Vinod Sood<br>(b) Selections in English Poetry.<br>**संस्कृतः–** संस्कृत काव्य<br>**अर्थशास्त्रः–**Principles of Micro Economics-I |
| 4. | DSC-1 (B) (Core Course) | **भूगोलः–** (a) Physical Geography (b) Practical-I<br>**इतिहासः–** History of India from the Earliest times up to c-300.<br>**राजनीति विज्ञानः–** Introduction to Political Theory.<br>**समाजशास्त्रः–** Introduction to Sociology.<br>**गृह विज्ञानः–** (a) Family Resource Management & Interior Decoration (b) Practical.<br>चित्रण एवं रंजन :–) Fundamentals of visual Art (b) Practical (A): Still Life (Drawing) and Practical (B) : Copy from old masters (Line Drawing)<br>संगीत :– Unit I :- Theory of Indian Music. Unit II :- Practical<br>गणितः– Differential Calculus. |

**नोट :–दो कोर कोर्स** (DSC) **में से एक कोर कोर्स** DSC-1 (A) **से तथा दूसरा** DSC-1 (B) **से अथवा दोनों कोर कोर्स** DSC-1 (B) **से चयन करें।**

## बी0ए0 द्वितीय सेमेस्टर हेतु पाठ्यक्रम (B.A. II Semester Course)

| पेपर नं॰ | कोर्स का नाम | विषय/पेपर का नाम |
|---|---|---|
| 1. | Ability Enhancement Compulsory Course (AECC) | AECC- अंग्रेजी : English Communication (अंग्रेजी भाषा सम्प्रेषण) AECC-हिन्दी : हिन्दी योग्यता संवर्द्धक पाठ्यक्रमः<br>;द्ध हिन्दी का व्यावहारिक व्याकरण शास्त्र<br>(हिन्दी से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए)<br>;इद्ध हिन्दी भाषा और सम्प्रेषण<br>(हिन्दी से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए)<br>AECC-संस्कृत : Sanskrit Communication (संस्कृत भाषा सम्प्रेषण) **(छात्र/छात्राएं किसी एक भाषा का चयन करें।)** |
| 2. | English/MIL (Core Course) | 1. Language English<br>2. Language Hindi:- (आधुनिक भारतीय भाषा हिन्दी)<br>MIL(Hindi)-1A : हिन्दी भाषा और साहित्य **(हिन्दी से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये)**<br>MIL(Hindi)-1B : हिन्दी गद्य का उद्भव और विकास **(हिन्दी से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये)**<br>3. MIL (Sanskrit)-1A : नीति साहित्यम् **(संस्कृत से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये)**<br>MIL (Sanskrit)-1B : उपनिषद् और गीता **(संस्कृत से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये)**<br>MIL (Sanskrit)-1C : संस्कृत साहित्यम् **(संस्कृत से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये)**<br>**(छात्र/छात्राएं किसी एक भाषा एवं एक प्रश्न पत्र का चयन करें)** |
| 3. | DSC-2 (A) (Core Course) | **हिन्दीः–** मध्यकालीन हिन्दी कविता<br>**अंग्रेजीः–**;) Selections from Cultural Diversity, Linguistics, Plurality.<br>(b) Literary Traditions in India.<br>**संस्कृतः–** संस्कृत गद्य |
| 4. | DSC-2 (B) (Core Course) | **अर्थशास्त्रः–**Principles of Micro Economics-II **भूगोलः–** (a) Human Geography (b) Practical-II **इतिहासः–** History of Indian from c-300 to 1206 **राजनीति विज्ञानः–** Indian Government & Politics<br>**समाजशास्त्रः–** Sociology of India.<br>**गृह विज्ञानः–** (a) Growth & Development (b) Practical. Prenatal & Infancy<br>**चित्रण एवं रंजनः–**;a) Media and Techniques. (b) Practical (A) : Still Life (Painting) Practical (B) : Designing.<br>**संगीत :** Unit 1 Theory of India Music : General & Biographies. (c) Unit 2-Practial. **गणितः–**<br>Differential Equations. |

## बी0ए0 तृतीय सेमेस्टर हेतु पाठ्यक्रम (B.A. III Semester Course)

| पेपर uañ | कोर्स का नाम | विषय/पेपर का नाम |
|---|---|---|
| 1. | Ability Enhancement Elective Course **(AEEC) vFkok SEC** (Skill Enhancement Course) | संबंधित विषय में मूल्य पर आधारित (Value-based) एवं कौशल दक्षता पर आधारित (Skill Based Courses) के तहत दिये गये (इलेक्टिव कोर्सेज) में से किसी एक का चयन, जो कि विश्वविद्यालय/सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित किया गया हो |
| 2. | English/MIL (Core Course) | 1. Language English<br>2. Language Hindi:- (आधुनिक भारतीय भाषा हिन्दी)<br>MIL(Hindi)-2A : हिन्दी भाषा और साहित्य (हिन्दी से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये)<br>MIL(Hindi)-2B : हिन्दी गद्य का उद्भव और विकास (हिन्दी से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये)<br>MIL (Sanskrit)-2A : संस्कृत से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये<br>MIL (Sanskrit)-2B : (संस्कृत से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये)<br>MIL (Sanskrit)-2C : (संस्कृत से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये)<br>**(छात्र/छात्राएं किसी एक भाषा एवं एक प्रश्न पत्र का चयन करें)।** |
| 3. | DSC-3 (A) (Core Course) | **हिन्दीः–** आधुनिक हिन्दी कविता<br>English:- (a) William Shakespeare : The Merchant of Venice.<br>(b) Charles Dickens : Oliver Twist<br>**संस्कृतः–** संस्कृत नाटक |
| 4. | DSC-3 (B) (Core Course) | **अर्थशास्त्रः**–Principles of Macro Economics-I **भूगोलः–** (a) Geographical thoughts (b) Practical-III **इतिहासः–** History of Indian from c-1206 to 1707.<br>**राजनीति विज्ञानः–** Comparative Government & Politics.<br>**समाजशास्त्रः–** Sociological Theories.<br>**गृह विज्ञानः–** (a) Principles of nutrition (b) Practical.<br>**चित्रण एवं रंजनः–** (a) History of Indian Paintings (Prehistoric to Bengal Renaissance)<br>(b) Practical (A) : Head Study Drawing<br>Practical (B) : Poster Design<br>**संगीत :** Unit I Ancient Granthas & Contribution of Musicologists.<br>(c) Unit II-Practical<br>**गणितः–** Real Analysis. |

## बी0ए0 चतुर्थ सेमेस्टर हेतु पाठ्यक्रम (B.A. IV Semester Course)

| पेपर नं॰ | कोर्स का नाम | विषय / पेपर का नाम |
|---|---|---|
| 1. | **(AEEC) अथवा SEC** (Skill Enhancement Course) | संबंधित विषय में मूल्य पर आधारित (Value-based) एवं कौशल–दक्षता आधारित (Skill Enhancement ) पाठ्यक्रम के तहत दिये गये इलेक्टिव कोर्सेज (Elective Courses) में से किसी एक का चयन, जो कि विश्वविद्यालय / सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित किया गया हो। |
| 2. | English/MIL (Core Course) | 1. Language English<br>2. Language Hindi:- आधुनिक भारतीय भाषा हिन्दी<br>MIL(Hindi)-2A : हिन्दी भाषा और साहित्य **(हिन्दी से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये)**<br>MIL(Hindi)-2B : हिन्दी गद्य का उद्भव और विकास **(हिन्दी से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये)**<br>3. MIL (Sanskrit)-2A : **(संस्कृत से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये)**<br>MIL (Sanskrit)-2B : **(संस्कृत से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये)**<br>MIL (Sanskrit)-2C : **(संस्कृत से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये)**<br>**(छात्र / छात्राएं किसी एक भाषा एवं एक प्रश्न पत्र का चयन करें)।** |
| 3. | DSC-4 (A) (Core Course) | **हिन्दीः–** हिन्दी गद्य साहित्य<br>**अंग्रेजीः–** (a) Toba Tek Singh by Saadat Hasan Manto.<br>(b) Silence, The Court is in Session by Vijay Tendulkar.<br>**संस्कृतः–** संस्कृत व्याकरण |
| 4. | DSC-4 (B) (Core Course) | **अर्थशास्त्रः**–Principles of Micro Economics-II<br>**भूगोलः**– (a) Environmental Geography(b) Practical-IV<br>**इतिहासः**– History of Indian from c-1707 to 1950<br>**राजनीति विज्ञानः**– Introduction to International Relations<br>**समाजशास्त्रः**– Methods of Sociological Enquiry<br>**गृह विज्ञानः**– (a) Introduction to Textiles<br>(b) Practical.<br>**चित्रण एवं रंजनः**–(a) History of Indian Modern and Contemporary Paintings.<br>(b) Practical (A) : Head Study Paintings.<br>(B) : Creative Rendering.<br>**संगीत** : Unit I Medieval Granthas & Contribution of Musicians<br>(c) Unit II Practical.<br>**गणितः**– Algebra |

## 2- B.Sc.-I Semester

| S.No. | Course Structure | Course Name |
|---|---|---|
| 1 | DSC-2A (Chemistry) | Atomic Structure, Bonding, General Organic Chemistry & Aliphatic Hydrocarbons. |
| 2 | DSC-1 (Physics) | Mechanics |
| 3 | Core-1 (Mathematics) | Differential Calculus |
| 4 | Core Course (Botany) | Biodiversity (Microbes, Algae, Fungi and Archegoniate) |
| 5 | Core-1 (Zoology) | Animal Diversity |
| 6 | AECC-1<br>(कोई एक भाषा का चयन) | English/Hindi/Sanskrit (Language)<br>(a) Language English<br>(b) Language Hindi<br>(c) Sanskrit |

**B.Sc.-II Semester**

| S.No. | Course Structure | Course Name |
|---|---|---|
| 1 | DSC-2B (Chemistry) | Chemical Energetics, Equilibria & Functional Group Organic Chemistry. |
| 2 | DSC-2A (Physics) | Electricity, Magnetism and EMT. |
| 3 | DSC-2.1 (Mathematics) | Differential Equations . |
| 4 | Core Course-2 (Botany) | Plant Ecology and Taxonomy. |
| 5 | DSC-2 (Zoology) | Comparative Anatomy and Developmental Biology. |
| 6 | AECC-2 | Environmental Science. |

**B.Sc.-III Semester**

| S.No. | Course Structure | Course Name |
|---|---|---|
| 1 | DSC-2C (Chemistry) | Solutions, Phase Equilibria Conductance, Electrochemistry & Functional Group organic Chemistry. |
| 2 | DSC-3A (Physics) | Thermal Physics and Statistical Mechanics |
| 3 | Core-3.1 (Mathematics) | Real Analysis. |
| 4 | Core Course-3 (Botany) | Plant Anatomy and Embryology. |
| 5 | DSC-3 (Zoology) | Physiology and Biochemistry. |
| 6 | SEC-1 | In this course, each subject has several papers. Out of them one paper is to be selected. |

**B.Sc.-IV Semester**

| S.No. | Course Structure | Course Name |
|---|---|---|
| 1 | DSC-2D (Chemistry) | Chemistry of s-and p-block elements, States of matter & Chemical Kinetics |
| 2 | DSC-4A (Physics) | Waves and Optics |
| 3 | Core-4.1 (Mathematics) | Algebra |
| 4 | Core Course-4 (Botany) | Plant Physiology and Metabolism |
| 5 | DSC-4 (Zoology) | Genetics and Evolutionary Biology |
| 6 | SEC-2 | In this course, each subject has several papers. Out of them only one paper is to be selected. |

3- B.Com.-I Semester

| S.No. | Course Structure | Course Name |
|---|---|---|
| 1 | AECC-1 | Environmental Science |
| 2 | Language-1 | Language English |
| 3 | C-1 (Core course) | Financial Accounting |
| 4 | C-2 (Core course) | Business Organisation and Management |

## B.Com.-II Semester

| S.N | Course Structure | Course Name |
|---|---|---|
| 1 | AECC-2 | Language English/Hindi<br>English : English Communication<br>या<br>Hindi : हिन्दी का व्यावहारिक व्याकरण शास्त्र |
| 2 | Language-2<br>(Core compulsory) | Language Hindi |
| 3 | C-3 (Core course) | Business Law |
| 4 | C-4 (Core course) | Business Statistics |

B.Com.-III Semester

| S.No. | Course Structure | Course Name |
|---|---|---|
| 1 | Skill-Enhancement Elective course (SEC)-1A<br>Skill-Enhancement Elective course (SEC)-1B | Computer Application in Business<br>Practical |
| 2 | Language-3 | Language Hindi |
| 3 | C-5 (Core course) | Company Law |
| 4 | C-6 (Core course) | Income Tax Law and Practice |

B.Com.-IV Semester

| S.N | Course Structure | Course Name |
|---|---|---|
| 1 | Skill-Enhancement Elective course (SEC)-2A<br>Skill-Enhancement Elective course (SEC)-2B | E-Commerce<br>Practical |
| 2 | Language-4 | English Language to be taught as<br>Business Communication |
| 3 | C-7 (Core course) | Corporate Accounting |
| 4 | C-8 (Core course) | Cost Accounting |

**बी0ए0/बी0कॉम0 पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर हेतु पाठ्यक्रम (B.A./B.Com V and VI Semester Course)**

SEC, DSE एवं GE के अन्तर्गत निर्धारित विकल्पों में से मात्र एक का चयन किया जाना है, इस हेतु संबंधित विभाग/शिक्षक के सम्पर्क में रहना आवश्यक है।

| Semester | Skill Enhancement Course (SEC) | Discipline Specific Elective (DSE) | Generic Elective (GE) |
|---|---|---|---|
| V | SEC-3 | DSE-1A<br>DSE-2A | GE-1 |
| VI | SEC-4 | DSE-1B<br>DSE-2B | GE-2 |

बी0एस–सी0 पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर हेतु पाठ्यक्रम (B.Sc. V & VI Semester Course) SEC, DSE एवं GE के अन्तर्गत निर्धारित विकल्पों में से मात्र एक का चयन किया जाना है, इस हेतु संबंधित विभाग/शिक्षक के सम्पर्क में रहना आवश्यक है।

| Semester | Skill Enhancement Course (SEC) | Discipline Specific Elective (DSE) |
|---|---|---|
| V | SEC-3 | DSE-1A<br>DSE-2A<br>DSE-3A |
| VI | SEC-4 | DSE-1B<br>DSE-2B<br>DSE-3B |

# सी॰बी॰सी॰एस॰ के अर्न्तगत पाठ्यक्रम सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी हेतु मुख्य बिन्दु

1. AECC (Ability Enhancement Compulosory Course) को बी॰ए॰, बी॰एस–सी॰ एवं बी॰कॉम॰ के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में अध्ययन किया जाना है। बी॰ए॰/बी॰कॉम॰ प्रथम सेमेस्टर में इसके अर्न्तगत पर्यावरण विज्ञान (Environmental Science) तथा बी॰एस–सी॰ प्रथम सेमेस्टर में इसके अर्न्तगत अंग्रेजी/हिन्दी/संस्कृत भाषा (सम्प्रेषण) में से एक का अध्ययन किया जायेगा। बी॰ए॰/बी॰कॉम॰ द्वितीय सेमेस्टर में अंग्रेजी/हिन्दी/संस्कृत में से किसी एक भाषा (सम्प्रेषण) का चयन किया जाना है। जबकि बी॰एस–सी॰ द्वितीय सेमेस्टर में पर्यावरण विज्ञान (Environmental Science) का अध्ययन किया जाना है। बी॰ए॰/बी॰एस–सी॰/बी॰कॉम॰ के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ सेमेस्टर में AECC के स्थान पर AEEC (Ability Enhancement Elective Course) या SEC (Skill Enhancement Course) का अध्ययन किया जायेगा।
2. (a) AECC-अंग्रेजी में अंग्रेजी भाषा सम्प्रेषण (English Communication) है।
   (b) AECC- हिन्दी में हिन्दी योग्यता संवर्द्धक पाठ्यक्रम जिसमें (अ) हिन्दी का व्यावहारिक व्याकरणशास्त्र अथवा हिन्दी भाषा सम्प्रेषण है।
   (c) AECC- संस्कृत में संस्कृत भाषा सम्प्रेषण (Sanskrit Communication) है।

3. कौशल एवं दक्षता पर आधारित पाठ्यक्रम के आलोक में बी॰ए॰/बी॰एस–सी॰/बी॰कॉम॰ में तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ सेमेस्टर में SEC (Skill Enhancement Course) का अध्ययन किया जाना है। जो विश्वविद्यालय अथवा सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। इनको क्रमशः SEC-1, SEC-2, SEC-3 ,oa SEC-4 नाम दिया गया है।

4. English/MIL- के अर्न्तगत अंग्रेजी या हिन्दी/संस्कृत में किसी एक का चयन करना है। हिन्दी/संस्कृत (संयोजन) के चयन पर या तो हिन्दी या संस्कृत भाषा का चयन किया जाना है। यदि प्रथम सेमेस्टर में अंग्रेजी भाषा का चयन किया है तो द्वितीय सेमेस्टर में हिन्दी या संस्कृत का चयन करना अनिवार्य है। इसी प्रकार तृतीय सेमेस्टर में अंग्रेजी तो चतुर्थ सेमेस्टर में हिन्दी या संस्कृत भाषा । विपरीत क्रम पर विपरीत (अपबम.अमतें)। अंग्रेजी भाषा (English Language) में मात्र एक प्रश्न पत्र होगा। हिन्दी भाषा (Hindi Language) में दो प्रश्न पत्र होंगे, पहला प्रश्न पत्र हिन्दी से 12वीं कक्षा उर्त्तीण परीक्षार्थियों के लिए और दूसरा प्रश्न पत्र हिन्दी में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए। **इनमें से एक प्रश्न पत्र हल करना होगा।** संस्कृत भाषा (दोतपज स्ंदहनंहम) में तीन प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र संस्कृत से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए दूसरा, संस्कृत से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण के लिए तथा तीसरा, संस्कृत से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए। **इनमें से भी मात्र एक प्रश्न पत्र को हल करना होगा।**

5. जहाँ बी॰ए॰ प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में English/Hindi/MIL-1 (Language-1) का अध्ययन किया जाना है, वहीं बी॰ए॰ तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में English/Hindi/MIL-2 (Language-2) का अध्ययन किया जायेगा। बी॰कॉम॰ प्रथम सेमेस्टर में अंग्रेजी भाष द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में हिन्दी भाषा तथा चतुर्थ सेमेस्टर में अंग्रेजी भाषा के रुप में Business Communication] **जबकि बी॰एस–सी॰ में म्दहसपींध्डप्स् का अध्ययन नहीं किया जाना है।**

6. कोर कोर्स के रुप में DSC (Discipline Specific Course) के अर्न्तगत बी॰ए॰/बी॰कॉम॰ में प्रथम 4 सेमेस्टर के लिए प्रथम सेमेस्टर में ही दो कोर कोर्स (DSC) का चयन किया जाना है, जबकि बी॰एस–सी॰ में तीन कोर कोर्स (DSC) का चयन करना होगा। बी॰ए॰ प्रथम सेमेस्टर में दो कोर कोर्स (के) के रुप में या तो एक भाषा (अंग्रेजी या हिन्दी या संस्कृत) और एक भाषा से इतरा या दोनों भाषा से इतर भाषा हो।

7. पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर में कोर कोर्स (के) के स्थान पर इलैक्टिव कोर्स विषय (के) का अध्ययन किया जाना है। दो DSE (Discipline Specific Elective) पाठ्यक्रमों का चयन करना होगा। जो कि विश्वविद्यालय/सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। साथ ही एक GE (Generic Elective) कोर्स का भी चयन करना होगा।

## इस प्रकार स्नातक स्तर पर 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक संक्षिप्त रुप में पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नवत है :–

बी॰ए॰/बी॰कॉम॰ (प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर)–तीन कोर कोर्स (दो DSC] एक English/MIL) तथा एक AECC.

बी॰ए॰/बी॰कॉम॰ (तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर)– तीन कोर कोर्स (दो DSC,d English/MIL) तथा एक SEC.

बी॰एस–सी॰ (प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर)–तीन कोर कोर्स (DSC)] एवं एक AECC.

बी॰एस–सी॰ (तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर)–तीन कोर कोर्स (DSC)] एवं एक SEC.

बी॰ए॰/बी॰कॉम॰/बी॰एस–सी॰ (पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर)–तीन इलेक्टिव कोर्स (दो DSE, एक GE) तथा एक SEC.

AECC-Ability Enhancement Compulsory Course
DSC-Discipline Specific Course
DSE-Discipline Specific Elective (Course)
GE-Generic Elective (Course)
SEC-Skill Enhancement Course

# 4. संकायवार प्रवेश नियम
## (Faculty wise Admission-Rules)

## (अ) विज्ञान संकाय

### 1. स्नातक विज्ञान वर्ग (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु नियम

स्नातक विज्ञान वर्ग के बी॰एस–सी॰ प्रथम वर्ष में मेरिट के आधार पर उन्हीं छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा जो इण्टरमीडिएट स्तर तक विज्ञान के छात्र रहे हैं। अनुवर्ग का चयन करते समय प्रवेशार्थी को यह ध्यान रखना होगा कि चयनित वैकल्पिक विषयों में से कम से कम दो ऐसे विषय होंगे, जिन्हे छात्र/छात्रा ने इण्टरमीडिएट स्तर तक पढ़ा हो।

छात्र/छात्रा निम्नलिखित अनुवर्गों में से कोई एक अनुवर्ग ले सकते हैं–

1. भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान 2. वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान

**बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये योग्यता सूचकांक निर्धारण हेतु नियम**

1. प्रवेश के लिये इण्टरमीडिएट या समकक्षीय परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है, परन्तु प्रवेश मेरिट के आधार पर उपलब्ध स्थानों पर ही किये जायेंगे।
2. इण्टरमीडिएट कृषि वर्ग के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. स्नातक स्तर पर प्रवेश परीक्षा योग्यता सूचकांक अथवा मेरिट के आधार पर होगा।
4. प्रवेश के लिये योग्यता सूचकांक का निर्धारण निम्नवत होगा।

**(क)** इण्टरमीडिएट के प्राप्तांक का प्रतिशत

**(ख)** अधिभार निर्धारण हेतु देय अंक निम्नवत होंगे।

(प) गढ़वाल मण्डल से इण्टरमीडिएट समकक्षीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं 05 अंक तथा उसी जनपद से उत्तीर्ण होने पर जहाँ सम्बन्धित महाविद्यालय स्थित है पर 03 अंक अतिरिक्त देय होंगे।

(पप) इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात 2 वर्ष का अन्तराल होने पर कुल योग्यता सूचकांक में से 5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से कम कर दिये जायेंगे।

**(ग)** (प) राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने वाले को क्रमशः 05 और 07 अतिरिक्त अंक देय होंगे।

(पप) एन॰एस॰एस॰ एवं एन॰सी॰सी॰ 'बी' प्रमाण पत्र धारक को 01 अंक तथा 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 02 अंक देय होंगे।

(पपप) ध्रुवपद/गुरुपद धारक को 2 अंक देय होगें।

**नोटः–उपरोक्त वर्णित ग (प से पपप) तक की श्रेणी में आने वाले प्रवेशार्थियों को किसी भी दशा में 07 अंक से अधिक का लाभ नहीं दिया जायेगा**

5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों तथा विकलांग अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ उन्हें सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/ऑफिसर कमांडिग/सचिव पुनर्वास/सैनिक कल्याण/मुख्य चिकित्साधिकारी) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

# 2. परास्नातक विज्ञान वर्ग (सेमेस्टर पाठ्यक्रम)

## एम0 एस–सी0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु नियम

परास्नातक स्तर पर एम॰एस–सी॰ प्रथम सेमेस्टर में वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं गणित विषयों में प्रवेश लिया जा सकता है।

## प्रवेश के लिये योग्यता क्रम निर्धारण हेतु नियम

1. एम॰एस–सी॰ विज्ञान संकाय में प्रवेशार्थ न्यूनतम अर्हता मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की बी॰एस–सी॰ परीक्षा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों में उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।
2. केवल उसी विषय में प्रवेश अनुमन्य होगा, जिसे छात्र ने बी॰एस–सी॰ में पढ़ा हो।
3. योग्यता सूची का निर्धारण निम्न सूत्र द्वारा होगा।

$$\text{(अ) सूचकांक} = \frac{\text{छात्र द्वारा प्राप्त X और Y का योग}}{\text{X और Y के पूर्णांक का योग}} \times 100$$

जहां ग्त्र स्नातक के कुल प्राप्तांक ल्त्र प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक स्तर के तीनों वर्षों की लिखित परीक्षा (थ्योरी) प्राप्तांकों का योग ।

(ब) अतिरिक्त अंकों की गणना निम्न प्रकार निर्धारित कर उसे सूचकांक (अ) में जोड़ दिया जायेगा।

(प) आवेदक ने यदि इस महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो 05 अंक और गढ़वाल विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण को 03 अंक देय होंगे।

(पप) अन्तर्विश्वविद्यालय/राज्य स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं मे ंविश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले आवेदक को 05: अंक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं का प्रतिनिधित्व करने पर 02: अंक देय होंगे तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले को 07 अंक देय होंगे।

(पपप) एन॰एस॰एस॰ एवं एन॰सी॰सी॰ 'बी' प्रमाण पत्र धारक को 01 अंक 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 02 अंक देय होंगे।

(पअ) साक्षरता अभियान सम्बन्धी विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र पर अंक 01 अतिरिक्त अंक दिया जायेगा।

उपरोक्त वर्णित (ब पअ तक) श्रेणी में अधिकतम 07 अंक देय होंगे।

4. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी/कार्यरत/भूतपूर्व सैनिक/केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री) को 2 प्रतिशत आरक्षण का लाभ इस प्रतिबंध के साथ दिया जायेगा वे इस हेतु सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी/ अपर जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/ऑफिसर कमांडिग/सैनिक कल्याण बोर्ड) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। यह आरक्षण हॉरिजेन्टल प्रकृति का होगा।
5. विकलांग अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है उसी श्रेणी में 3 प्रतिशत का आरक्षण देय होगा।
6. 'गैप' के लिये पांच अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से योग्यता सूचकांक में से घटा दिये जायेंगे तथा दो वर्ष से अधिक का 'गैप' रहने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। 'गैप' अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी व्यावसायिक पाठयक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी हो तो उस अवधि को 'गैप' नहीं माना जायेगा।

7. अधिकतम् देय वरीयता अंक 17 ही होंगे।

**नोट :– शेष नियम विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप रहेंगे एवं तदनुसार परिवर्तनीय भी होंगे।**

# (ब). कला संकाय

## 1. स्नातक कला वर्ग (सेमेस्टर प्रणाली) में प्रवेश हेतु नियम

स्नातक कला वर्ग के बी॰ए॰ प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये इण्टरमीडिएट अथवा समकक्षीय परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। परन्तु प्रवेश मेरिट के आधार पर उपलब्ध स्थानों के लिये ही देय होंगे। सी॰बी॰सी॰एस॰ के अर्न्तगत स्नातक स्तर पर निम्नांकित कोर विषयों में से दो विषय लेने होंगे। (वर्जित विषय समूहों को छोड़कर)।

1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. संस्कृत 4. भूगोल 5. इतिहास 6. राजनीति शास्त्र
7. समाजशास्त्र 8. अर्थशास्त्र 9. गणित 10. गृह विज्ञान 11. चित्रण एवं रंजन कला 12. संगीत

**बी॰ए॰ प्रथम सेमेस्टर में योग्यता सूचकांक हेतु बी॰एस–सी॰ प्रथम सेमेस्टर के बिन्दु (4) एवं (5) के समस्त नियम लागू होंगे।**

## प्रतिबन्ध

1. कोई भी छात्र/छात्रा हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत में से केवल एक साहित्य ले सकते हैं।
2. कोई भी छात्र/छात्रा कला संकाय के एक से अधिक प्रायोगिक विषयों का चयन नहीं कर सकते हैं।
3. वे ही छात्र/छात्रा चित्रकला/संगीत/गृहविज्ञान में प्रवेश के लिये अर्ह माने जायेंगे, जिन्होंने इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उक्त विषय से उत्तीर्ण किया हो।
4. निम्नांकित विषयों में से केवल एक विषय का चयन किया जायेगा।
   (क) इतिहास या भूगोल (ख) चित्रकला या अर्थशास्त्र या संगीत
   (ग) गृह विज्ञान या गणित (घ) भूगोल या चित्रकला या संगीत
5. केवल वे छात्र भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा भूगोल के साथ अथवा विज्ञान संवर्ग में गणित या जीव विज्ञान के साथ उत्तीर्ण की हो।
6. केवल वे छात्र/छात्रा गणित का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा कला या विज्ञान वर्गान्तर्गत गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।
7. गणित के साथ मात्र अर्थशास्त्र या भूगोल विषय ही लिया जा सकता है।

## 2. परास्नातक कला वर्ग (सेमेस्टर पाठ्यक्रम)

### एम0ए0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु नियम

1. एम॰ए॰ प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी॰ए॰ न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथं उत्तीर्ण होंगे।
2. केवल उसी विषय में प्रवेश अनुमन्य होगा जिसे छात्र/छात्रा ने बी॰ए॰ में लिया हो।
3. बी॰ एस–सी॰/बी॰काम॰ परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्रा एम॰ए॰ प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर अन्य विषय में प्रवेश ले सकते हैं।

स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन किया जा सकता है बशर्ते कि यह विषय स्नातक स्तर पर एक ''कोर कोर्स'' के रुप में रहा हो :–

1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. संस्कृत 4. भूगोल 5. इतिहास 6. राजनीति शास्त्र
7. समाजशास्त्र 8. अर्थशास्त्र 9. गणित 10. गृह विज्ञान 11. चित्रण एवं रंजन कला

**नोट :–एम॰ए॰ प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु योग्यता सूचकांक के लिए एम॰एस–सी॰ प्रथम वर्ष के बिन्दु 3 से बिन्दु 7 तक के सभी नियम लागू होंगे।**

## (स) वाणिज्य संकाय

### 1. स्नातक वाणिज्य वर्ग (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु नियम

स्नातक वाणिज्य वर्ग की बी॰कॉम॰ प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट अथवा समकक्षीय परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक आवश्यक है। परन्तु प्रवेश मैरिट के आधार पर उपलब्ध स्थानों पर किये जायेगे। जिन प्रवेशार्थियों का इण्टरमीडिएट में वाणिज्य विषय नहीं रहा है परन्तु अर्थशास्त्र विषय रहा हो उनको भी वाणिज्य विषय दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें **क्वालिफांइग परीक्षा (EBK)** उत्तीर्ण करनी होगी। बी॰काम॰ प्रथम वर्ष के लिए योग्यता सूचकांक हेतु बी॰एस–सी॰ प्रथम वर्ष के बिन्दु 4 एवं 5 के सभी नियम लागू होंगे।

### 2. परास्नातक वाणिज्य वर्ग (सेमेस्टर पाठ्यक्रम)
### एम0काम0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु नियम

एम॰कॉम॰ में प्रवेश उन्हीं छात्रों का होगा, जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों– (अ)बी॰कॉम॰ अथवा समकक्षीय परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लेकर उत्तीर्ण हुये हैं।

(ब) बी॰ए॰ अथवा बी॰एस–सी॰ परीक्षा अर्थशास्त्र अथवा गणित से (न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक) लेकर उत्तीर्ण की हो, किन्तु इन्हें क्वालिफाइंग परीक्षा अलग से उत्तीर्ण करनी होगी। एम॰काम॰ प्रथम वर्ष के लिये योग्यता सूचकांक हेतु एम॰एस–सी॰ प्रथम वर्ष के बिन्दु 3 से बिन्दु 7 तक के सभी नियम लागू होंगे।

## 4. व्यावसायिक विषय
## (Vocational Subjects)

यू॰जी॰सी॰ एवं शासन द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्र/छात्राएं अतिरिक्त विषय के रुप में प्रवेश ले सकते हैं जिसके लिये अतिरिक्त शुल्क देय होगा। पाठ्यक्रम डिग्री/सर्टीफिकेट/डिप्लोमा के रुप में चलाये जाएंगे। पाठ्यक्रम में अधिकतम 30 छात्र/छात्राओं को वरीयता क्रम में प्रवेश दिया जाएगा।

1. पी॰जी॰ डिप्लोमा इन ईको टूरिज्म
2. नर्सरी टैक्नोलॉजी एवं आर्चर्ड मैनेजमैन्ट
3. वानिकी एवं वन्य जन्तु प्रबन्धन
4. टूरिज्म एवं ट्रैवल मैनेजमेंट

**नोट :– विशेष जानकारी के लिये प्राचार्य/समन्वयक–पाठ्यक्रम से सम्पर्क स्थापित करेंगे।**

## 5. शुल्क एवं उसका भुगतान
## (Fee and its Modes of Payment)

पूरे सत्र का शुल्क निम्नवत् एक मुश्त में लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय/शासन से अतिरिक्त निर्देशों के प्राप्त होने पर तदनुसार संशोधित शुल्क देय होगा। तथा शुल्क बैंक में जमा करना होगा।

# वार्षिक शुल्क विवरण (Annual Fee Details)

## (अ) कोषागार निधियां

| | | |
|---|---|---|
| प्रवेश शुल्क | ₹ | 3.00 |
| शिक्षण शुल्क (स्नातकोत्तर स्तर पर सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं) | ₹ | 180.00 |
| प्रयोगशाला शुल्क | ₹ | 240.00 |
| मंहगाई शुल्क (डी॰ए॰) | ₹ | 240.00 |
| विकास शुल्क | ₹ | 20.00 |
| पुस्तकालय शुल्क (स्नातक स्तर पर) | ₹ | 3.00 |
| (स्नातकोत्तर स्तर पर) | ₹ | 10.00 |

## (ब) महाविद्यालय छात्र निधियां

| | | |
|---|---|---|
| क्रीड़ा शुल्क | ₹ | 200.00 |
| वाचनालय एवं रख–रखाव | ₹ | 20.00 |
| पत्रिका शुल्क | ₹ | 50.00 |
| छात्र संघ शुल्क | ₹ | 100.00 |
| निर्धन छात्र सहायता शुल्क | ₹ | 10.00 |
| कालेज डे शुल्क | ₹ | 15.00 |
| सांस्कृतिक क्रिया कलाप शुल्क | ₹ | 60.00 |
| विभागीय परिषद शुल्क | ₹ | 50.00 |
| रोवर्स एवं रेंजर्स शुल्क | ₹ | 60.00 |
| विद्युत/जलकर शुल्क | ₹ | 100.00 |
| परिचय पत्र शुल्क | ₹ | 15.00 |
| विविध शुल्क (मरम्मत भवन, फर्नीचर आदि) | ₹ | 60.00 |
| महाविद्यालय विकास प्रागंण एवं सौन्दर्यीकरण शुल्क | ₹ | 60.00 |
| कम्प्यूटर रखरखाव व इन्टरनेट सुविधा शुल्क | ₹ | 100.00 |
| प्रयोगशाला सामग्री शुल्क | ₹ | 60.00 |
| शिक्षक अभिभावक परिषद कोष शुल्क | ₹ | 30.00 |
| डाटाएन्ट्री शुल्क/पुस्तकालय शुल्क | ₹ | 100.00 |
| काउंसलिग एवं प्लेसमेंट सेल शुल्क | ₹ | 30.00 |
| प्रतिभूति शुल्क स्नातक/स्नातकोत्तर प्रायोगिक | ₹ | 150.00 |
| प्रतिभूति शुल्क स्नातक/स्नातकोत्तर (बिना प्रायोगिक) | ₹ | 100.00 |
| प्रतिभूति शुल्क शोध छात्र | ₹ | 300.00 |
| प्रायोगिक विषय स्नातक (प्रति विषय वार्षिक 20 रु॰) अधिकतम | ₹ | 60.00 |
| प्रायोगिक विषय स्नातकोत्तर | ₹ | 100.00 |
| आन्तरिक परीक्षा शुल्क | ₹ | 50.00 |

## (स) परीक्षा शुल्क (विश्वविद्यालय से संबंधित)

| | |
|---|---|
| नामांकन शुल्क (ग.वि.वि. से नामांकित हुए छात्रों को 150 नहीं देने पड़ेंगे) | ₹ 150.00 |
| स्नातक परीक्षा शुल्क (प्रति सेमेस्टर) | ₹ 700.00 |
| स्नातकोत्तर परीक्षा शुल्क (प्रति सेमेस्टर) | ₹ 800.00 |
| उपाधि शुल्क (स्नातक/स्नातकोत्तर अन्तिम सेमेस्टर) | ₹ 170.00 |

## (द) विविध शुल्क

| | |
|---|---|
| अस्थाई चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क | ₹ 10.00 |
| परिचय पत्र (द्वितीय प्रति) शुल्क | ₹ 50.00 |
| शुल्क रसीद (द्वितीय प्रति) शुल्क | ₹ 50.00 |

## (क) महाविद्यालय व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुल्क

| | |
|---|---|
| परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष/प्रति सेमेस्टर | ₹ 1200.00 |
| प्रमाण–पत्र शुल्क | ₹ 1800.00 |
| डिप्लोमा शुल्क संस्थागत छात्र | ₹ 2500.00 |
| अन्य छात्र | ₹ 3000.00 |
| डिग्री शुल्क | ₹ 2000.00 |

## स्नातक कक्षाओं का समेकित शुल्क विवरण

| कक्षा | धनराशि |
|---|---|
| **कला संकाय** | |
| बी.ए.I सेमेस्टर (बिना प्रयोगात्मक विषय) | ₹ 2326.00 |
| बी.ए.I सेमेस्टर (एक प्रयोगात्मक विषय) | ₹ 2696.00 |
| बी.ए.III सेमेस्टर (बिना प्रयोगात्मक विषय) | ₹ 2076.00 |
| बी.ए.III सेमेस्टर (एक प्रयोगात्मक विषय) | ₹ 2396.00 |
| बी.ए.V सेमेस्टर (बिना प्रयोगात्मक विषय) | ₹ 2196.00 |
| बी.ए.V सेमेस्टर (एक प्रयोगात्मक विषय) | ₹ 2516.00 |
| **विज्ञान संकाय** | |
| बी.एस–सी.I सेमेस्टर (दो प्रयोगात्मक विषय) | ₹ 2716.00 |
| बी.एस–सी.I सेमेस्टर (तीन प्रयोगात्मक विषय) | ₹ 2736.00 |
| बी.एस–सी.III सेमेस्टर (दो प्रयोगात्मक विषय) | ₹ 2416.00 |
| बी.एस–सी.III सेमेस्टर (तीन प्रयोगात्मक विषय) | ₹ 2436.00 |
| बी.एस–सी.V सेमेस्टर (दो प्रयोगात्मक विषय) | ₹ 2536.00 |
| बी.एस–सी.V सेमेस्टर (तीन प्रयोगात्मक विषय) | ₹ 2536.00 |
| **वाणिज्य संकाय** | |
| बी.कॉम.I सेमेस्टर | ₹ 2326.00 |
| बी.कॉम.-III सेमेस्टर | ₹ 2076.00 |
| बी.कॉम.V सेमेस्टर | ₹ 2176.00 |

**नोट :–स्नातक I/III/V सेमेस्टर में शिक्षण शुल्क छोड़कर अन्य समस्त शुल्क विद्यार्थियों से लिया जायेगा, जबकि स्नातक II/IV/VI सेमेस्टर में केवल परीक्षा शुल्क ₹ 700.00 लिया जायेगा। सेमेस्टर VI में परीक्षा शुल्क ₹ 700.00 एवं उपाधि शुल्क ₹ 170.00 कुल ₹ 870.00 जमा करना होगा।**

## स्नातकोत्तर कक्षाओं का समेकित शुल्क विवरण

| कक्षा | धनराशि | |
|---|---|---|
| | सामान्य वर्ग | एस॰सी॰ /एस॰टी॰ |
| **कला संकाय** | | |
| एम॰ए॰-I सेमेस्टर (बिना प्रयोगात्मक विषय) | ₹ 2463.00 | ₹ 2283.00 |
| एम॰ए॰I सेमेस्टर (प्रयोगात्मक विषय) | ₹ 2913.00 | ₹ 2733.00 |
| एम॰ए॰III सेमेस्टर (बिना प्रयोगात्मक विषय) | ₹ 2533.00 | ₹ 2353.00 |
| एम॰ए॰III सेमेस्टर (प्रयोगात्मक विषय) | ₹ 2933.00 | ₹ 2753.00 |
| **विज्ञान संकाय** | | |
| एम॰एस–सी॰-I सेमेस्टर (बिना प्रयोगात्मक विषय) | ₹ 2463.00 | ₹ 2283.00 |
| एम॰एस–सी॰-I सेमेस्टर (प्रयोगात्मक विषय) | ₹ 2913.00 | ₹ 2733.00 |
| एम॰एस–सी॰-III सेमेस्टर (बिना प्रयोगात्मक विषय) | ₹ 2533.00 | ₹ 2553.00 |
| एम॰एस–सी॰-III सेमेस्टर (प्रयोगात्मक विषय) | ₹ 2933.00 | ₹ 2753.00 |
| **वाणिज्य संकाय** | | |
| एम॰कॉम॰-I सेमेस्टर | ₹ 2463.00 | ₹ 2283.00 |
| एम॰कॉम॰-III सेमेस्टर | ₹ 2533.00 | ₹ 2353.00 |

**नोट :–स्नातकोत्तर I/III सेमेस्टर में पूर्ण शुल्क जमा करना होगा जबकि स्नातकोत्तर II सेमेस्टर में केवल परीक्षा शुल्क ₹ 800.00 जमा होगा। सेमेस्टर IV में परीक्षा शुल्क ₹ 800.00 एवं उपाधि शुल्क ₹ 170.00, कुल ₹ 970.00 जमा करना होगा।**

**छात्रों से प्रतिवर्ष उक्तवत् शुल्क लिया जायेगा तथा लिया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस/अंतरित नहीं किया जायेगा। जिन पाठ्यक्रमों में शैक्षिक भ्रमण का प्रावधान है उसका सम्पूर्ण व्यय छात्र/छात्राएं स्वयं वहन करेंगे।**

## (क) शोध शुल्क

1. सभी डी॰फिल॰/डी॰लिट॰ के शोध छात्र दो साल का शिक्षण शुल्क क्रमशः ₹ 100 तथा ₹ 250.00 प्रतिमाह के हिसाब से 24 माह का देंगे तथा उन्हें निर्धारित अन्य वार्षिक शुल्क भी देना होगा।
2. लघु शोध प्रबन्ध शुल्क (स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु) –₹ 150.00

**नोटः–प्रवेश शुल्क रसीद एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। अतः छात्र शुल्क रसीद कदापि न खोयें । रसीद खो जाने पर प्राचार्य की अनुमति से द्वितीय प्रति ₹ 50.00 जमा करने पर निर्गत हो सकेगी।**

## (ख) छात्रावास शुल्क

1. छात्रावास में रहने वाले छात्रों से पूरे वर्ष का किराया एक मुश्त ₹ 10.00 प्रतिमाह की दर से तथा बिजली/पानी का शुल्क ₹ 75.00 प्रतिमाह की दर से लिया जायेगा। बिजली/पानी की दरों में वृद्धि होने पर बिजली/पानी के शुल्क में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकती है। छात्रावास में प्रवेश के समय पूर्ण शुल्क देना अनिवार्य होगा।

2. छात्रावास में प्रवेश के समय प्रतिभूति धनराशि भी जमा करनी होगी।

क) छात्रावास हेतु प्रतिभूति धनराशि प्रतिवर्ष ₹ 50.00

(ख) बिजली पानी शुल्क हेतु सुरक्षित प्रतिवर्ष ₹ 60.00

(ग) अनुरक्षण शुल्क प्रतिमाह ₹ 25.00

3. शासन/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा शुल्क में वृद्धि किये जाने पर तदनुसार शुल्क देय होगा।

# 6. परिचय पत्र

## (Identity Card)

महाविद्यालय में प्रत्येक छात्र/छात्रा को अपने पास परिचय पत्र रखना अति आवश्यक होगा। अनुशासन मण्डल का कोई सदस्य परिचय पत्र दिखाने को कहता है और उस समय विद्यार्थी ने परिचय–पत्र नहीं दिखाया तो ऐसी स्थिति में उसे बाहरी व्यक्ति समझा जायेगा। अतः परिचय –पत्र को विद्यार्थी सदैव महाविद्यालय परिसर में अपने पास रखें। **परिचय–पत्र खो जाने पर इसकी सूचना विद्यार्थी मुख्य शास्ता को दें तथा उनकी संस्तुति के आधार पर ही विद्यार्थी को शुल्क रसीद दिखाकर ₹ 50.00 नकद जमा करने पर ही दूसरा परिचय पत्र निर्गत किया जायेगा। विद्यार्थी को शुल्क रसीद अनिवार्यतः सुरक्षित रखनी चाहिए। उसे कभी भी सत्यापन के लिये मांगा जा सकता है।**

# 7. शुल्क मुक्ति नियम

## (Rules for fee Concession)

**केवल स्नातकोत्तर स्तर पर सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये :–**

(क) यदि किसी छात्र/छात्रा के दो या दो से अधिक भाई/बहन स्नातकोत्तर कक्षाओं में इस महाविद्यालय में छात्र/छात्रा के रुप में अध्ययनरत् हों तो केवल एक भाई/बहन को पूर्णशुल्क/अर्द्धशुल्क मुक्ति प्रदान की जायेगी।

(ख) नियमनुसार 10 प्रतिशत तक छात्रों को पूर्ण शुल्क मुक्ति तथा 15 प्रतिशत तक छात्रों को अर्द्धशुल्क मुक्ति प्रदान की जाती है जो कि आर्थिक स्थिति एवं शैक्षिक योग्यता पर आधारित होगी।

(ग) महाविद्यालय के नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनहीनता मानते हुए प्रदत्त शुल्क मुक्ति निरस्त की जा सकती है। शुल्क मुक्ति के लिये निर्धारित प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों को भरकर आय प्रमाण–पत्र तथा प्राप्तांकों की सत्यापित प्रतियों के साथ निर्धारित तिथि तक अवश्य कार्यालय में जमा करना होगा।

(घ)शुल्क मुक्ति उसी दशा में जारी रह सकेगी जबकि छात्र की प्रगति निरन्तर संतोषप्रद, आचरण उत्तम तथा प्रत्येक माह में उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत हो। प्रमाण पत्रों के अभाव में प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं होगा। शुल्क मुक्ति के इच्छुक छात्रों को अपने अभिभावकों के आय प्रमाण पत्र जो कि किसी सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार अथवा नियोक्ता) द्वारा निर्गत किये हों, अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। साक्षात्कार में अनुपस्थित विद्यार्थी शुल्क मुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इन प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के लिये प्राचार्य शुल्क मुक्ति समिति का गठन करेंगे, जो प्रार्थना पत्रों के आधार पर साक्षात्कार द्वारा छात्रों को शुल्क मुक्ति हेतु अपनी संस्तुति रिपोर्ट प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसके आधार पर प्राचार्य शुल्क मुक्ति प्रदान करेगे।

## 8. छात्रवृत्ति (Scholarships) रुपये प्रतिमाह

| क्र॰ सं॰ | जाति/वर्ग | आय सीमा वार्षिक ₹ ( ) | स्नातक प्रथम वर्ष | स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष | स्नातकोत्तर प्रथम/द्वितीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति | 2.5 लाख | 140 | 185 | 330 |
| 2. | पिछड़ी जाति | 1 लाख | 160 | 210 | 335 |
| 3. | छात्रावासीय पिछड़ी जाति | 1 लाख | 260 | 410 | 510 |

**शासनादेश सं॰ 2097/XVII - 4/2014 दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के प्रकरणों का त्वरित तथा पारदर्शिता के साथ निराकरण करने के उद्देश्य से वर्ष 2015–16 से ''ऑन लाइन'' छात्रवृत्ति की योजना लागू कर दी गई है। जिसमें समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट www.escholarship.uk.gov.in पर छात्र/छात्रा को अपना पंजीकरण करना होगा। सफल पंजीकरण के उपरान्त छात्र को, उसे भविष्य के अपने सभी छात्रवृत्ति आवेदनों हेतु, एक यूजर आई॰डी॰ एवं पासवर्ड एस॰एम॰एस॰/ई–मेल के माध्यम से प्राप्त होगा । इस प्राप्त हुए यूजर आई डी से छात्र कहीं से भी नियत अन्तिम तिथि से पहले अपने शिक्षण संस्थान को अपने छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे। इस हेतु नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, हाईस्कूल का प्रमाण पत्र, अन्तिम उत्तीर्ण कक्षा का अंक पत्र, सी॰बी॰एस॰ बैंक की पासबुक का प्रथम पेज की छायाप्रति जिसमें बैंक एकाउण्ट नम्बर एवं बैंक का ष्ठैब्ड कोड स्पष्ट रूप में दर्ज हो, उसे अपलोड करना आवश्यक होगा। सम्बन्धित छात्र द्वारा ऑनलाइन फीड किये गये आवेदन पत्र का एक प्रिन्ट–आउट निकालकर उस पर हस्ताक्षर कर सभी दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ अपने शिक्षण संस्थान में नियत अन्तिम तिथि से पहले प्रस्तुत करना होगा। छात्र अपने भरे हुये आवेदन पत्र का एक प्रिन्ट आउट निकालकर अपने सन्दर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। छात्रवृत्ति हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की गलत जानकारी देने अथवा फर्जी पाये जाने पर उसके विरुद्ध विधि–सम्मत कार्यवाही की जायेगी। छात्र/छात्रा को नियत तिथि तक आनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्र साफ्टवेयर में फीड नहीं किये जा सकेंगे।**

4. **भूतपूर्व सैनिक छात्रवृत्ति**–यह छात्रवृत्ति सम्बन्धित जिले के सैनिक एवं पुनर्वास कार्यालय से आवेदन प्राप्त किये जाने पर प्रदत्त होती है।

5. **राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान शोध छात्रवृत्ति**–संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर तथा शोध छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की सुविधा है।

6. **उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी**–संस्कृत विषय स्नातक/स्नातकोत्तर में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। आवेदन पत्र 15 अक्टूबर से पूर्व जमा करना अनिवार्य है।

7. **असेवित छात्रवृत्ति**–स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं को जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हों, उनके घर से निकटतम महाविद्यालय 10 कि॰मी॰ दूर हो, माता/पिता/अभिभावक की मासिक आय रु॰ 600 प्रतिमाह से अधिक न हो तथा इण्टर अथवा समकक्षीय परीक्षा मे कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों । दूरी एवं आय का प्रमाण पत्र उप जिलाधिकारी/तहसीलदार से कम अधिकार का न हो।

**नोटः–उक्त सभी छात्रवृत्तियां एवं छात्रवृत्ति अनुदान शासनादेशों के अनुरुप परिवर्तनीय हैं।**

# 9. निर्धन छात्र सहायता कोष

(Poor Boys' Fund)

ऐसे निर्धन एवं मेधावी छात्र जिन्हें किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता या शुल्क सहायता न मिल पायी हो वे संयोजक, छात्र कल्याण परिषद के पास कोष से सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं।

# 10. उपस्थिति नियम

(Rules for Attendance)

**शासनादेश संख्या–528 (1) 15 (उ॰शि॰) 71/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह व्याख्यान और ट्यूटोरियल कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता है।** निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में 6 प्रतिशत तक की छूट प्राचार्य द्वारा तथा 9 प्रतिशत की छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

1. (अ) विद्यार्थी की लम्बी और गम्भीर बीमारी के बाद कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया हो।

   (ब) किसी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में समुचित साक्ष्य देने पर।

2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन॰सी॰सी॰ शिविर, खेलकूद–सांस्कृतिक समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, रोवर्स–रेंजर्स शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिये साक्षात्कार निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनता में मार्जन कर दिया जायेगा। बशर्ते कि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाता है। **नोटः–प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी को शैक्षणिक सत्र 2016–17 में प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गयी है। उपस्थिति कम होने पर विद्यार्थी को न केवल विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जायेगा बल्कि राष्ट्रीय सेवा योजना, रोवर्स–रेंजर्स शिविरों में प्रतिभाग करने से भी वंचित कर दिया जायेगा तथा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन संस्तुत नहीं किये जायेंगे। साथ ही क्रीड़ा–सांस्कृतिक गतिविधियों में भी प्रतिभाग नहीं कर पायेंगे। कम उपस्थिति रहने पर अभिभावकों को भी सूचित कर दिया जायेगा।**

# 11. महाविद्यालय पुस्तकालय

(College Library)

महाविद्यालय पुस्तकालय कार्य दिवसों पर प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक खुला रहता है। छात्र–छात्राओं की सुविधानुसार पुस्तकें प्राप्त करने के लिये तिथियां निर्धारित की जाती है और उन्हीं दिनों में पुस्तकें वर्ष भर निर्गत की जाती है।

1. पुस्तक प्राप्त करने हेतु निर्धारित मांग पत्र भर कर पुस्तकालय में जमा करना होता है, यदि वह पुस्तक किसी को न दी गई हो तब वह छात्र/छात्राओं को परिचय पत्र दिखाने पर ही मिल सकती है।
2. एक समय में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को अधिकतम 3 पुस्तकें पुस्तकालय कार्ड पर दी जा सकती हैं जो कि 14 दिन में निर्धारित तिथि तक पुस्तकालय में लौटानी होती है। निर्धारित तिथि पर पुस्तक न लौटाने पर 100 रुपये प्रतिदिन अर्थदण्ड लगेगा।

3. स्नातकोत्तर विभागों में स्नातकोत्तर स्तर के छात्र/छात्राओं को विभागीय पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने की सुविधा है।

4. कोई भी पत्रिका नई या पुरानी परिचय–पत्र पर नहीं दी जायेगी। जो छात्र/छात्रा इन्हें पढ़ना चाहते हैं वे वाचनालय में अपना परिचय पत्र जमा कर पढ़ सकते हैं।

5. संदर्भ पुस्तकें निर्गत नहीं होंगी।

6. पुस्तकों को सुरक्षित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी पुस्तक लेने वाले की होती है। यदि कोई पुस्तक फट जाय, गन्दी हो जाय एवं किसी भांति नष्ट हो जाय तो पुस्तक लेने वाले को नई पुस्तक लौटानी होगी। पुस्तकालय से पुस्तक लेते समय उसकी भली भांति जांच कर लेनी चाहिए कि पुस्तक की दशा ठीक है या नहीं अन्यथा क्षति हेतु पुस्तक लेने वाले उत्तरदायी होंगे। पुस्तकों पर नाम व अन्य विवरण लिखना सर्वथा वर्जित है। उक्त नियम का उल्लंघन करने पर नई पुस्तक या उसका मूल्य जमा करना होता है। यदि पुस्तकालय से पुस्तक खराब हालत में मिलती है तो इस आशय का प्रमाण पत्र पुस्तकालयाध्यक्ष से पुस्तक दिखाकर लेना चाहिए।

7. परीक्षा से पूर्व पुस्तकें लौटाकर अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

## 12. वाचनालय

(Reading Room)

छात्र/छात्राओं के लिये सदैव समाचार पत्र, मासिक पत्रिकायें पढ़ने व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिये महाविद्यालय के दोनों परिसरों में वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र–पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। विद्यार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये अतिरिक्त पुस्तक एवं पत्रिकाओं आदि को क्रय करने का सुझाव मिलने पर उन्हें क्रय करने की भी व्यवस्था की जा सकती है। विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि खाली समय पर पत्र–पत्रिकाओं को पढ़कर अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि करते रहें।

## 13. महाविद्यालय पत्रिका

(College Magazine)

छात्र/छात्राओं की सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित करने के उद्देश्य से महाविद्यालय द्वारा वार्षिक पत्रिका **'हिमसुमन'** का प्रकाशन किया जाता है। छात्र/छात्राएं पत्रिका में मौलिक रचना/लेख आदि के प्रकाशन के लिए सम्पादक मण्डल से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। वर्ष 2016–17 में वार्षिक पत्रिका **'हिम सुमन'** का संयुक्तांक प्रकाशित हो चुका है अगला प्रकाशन इस बात पर निर्भर करेगा कि संस्थागत छात्र–छात्राएं अपने लेख प्रकाशन में कितनी रुचि लेते हैं।

## 14. कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं इन्टरनेट प्रयोगशाला

(Computer Networking and Internet Laboratory )

महाविद्यालय के स्नातकोत्तर एवं शोध छात्रों हेतु इन्टरनेट प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। जिसमें उक्त कक्षाओं के छात्र–छात्राएं अपने विषय का आधुनिकतम ज्ञान तथा शोध कार्यों की जानकारी इण्टरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रयोगशाला की सदस्यता हेतु अलग से सदस्यता शुल्क एवं प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।

# 15. कैरियर काउन्सलिंग एवं प्लेसमेंट सेल

(Career Counselling and Placement Cell)

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की बौद्धिक प्रतिभा को निखारने, उनमें क्षमता, दक्षता, आत्मविश्वास तथा स्पर्द्धा उत्पन्न करने हेतु एक कैरियर काउन्सलिंग सेल स्थापित की गयी है। उन्हें स्वावलम्बी बनाने, रोजगार परक सूचनाओं से अवगत कराने तथा विविध प्रकार के परामर्श देने हेतु काउन्सलिंग सेल उपयोगी मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है।

# 16. पूर्व छात्र परिषद्

(Alumni Association )

भूतपूर्व छात्रों का महाविद्यालय के विकास हेतु महत्वपूर्ण भागीदारी के उद्देश्य से महाविद्यालय में पूर्व छात्र परिषद् का गठन किया गया है । एतदर्थ महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि यदि उनके बड़े भाई/बहन/अभिभावक अथवा सम्बन्धी इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हों तथा विभिन्न विभागों में कार्यरत हों, तो उनकी सूचना महाविद्यालय में गठित पूर्व छात्र परिषद के संयोजक को उपलब्ध करायें जिससे परिषद् की समय–समय पर होने वाली बैठकों में उन्हें आमन्त्रित किया जा सके तथा महाविद्यालय के विकास में उनका योगदान/सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके। भूतपूर्व छात्र परिषद् के अध्यक्ष–प्राचार्य होते हैं, सचिव पद पर एक वरिष्ठ प्राध्यापक को प्राचार्य द्वारा मनोनीत किया जाता है तथा उपाध्यक्ष पद पर भूतपूर्व छात्रों में से किसी एक का चुनाव किया जाता है। इसी तरह सदस्यों का चुनाव भी किया जाता है।

# 17. अभिभावक–शिक्षक परिषद

(Parent & Teacher Association)

जिस प्रकार भूतपूर्व छात्र परिषद् में छात्रों के हितार्थ भूतपूर्व विद्यार्थियों को उनकी सहयोगिता तथा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये उन्हें महाविद्यालय में बुलाया जाता है। उसी प्रकार महाविद्यालय की सर्वांगीण उन्नति एवं छात्र कल्याण हेतु अभिभावक–शिक्षक परिषद् का गठन किया जाता है। प्राचार्य इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष पद का चुनाव अभिभावकों में से किया जाता है तथा सचिव पद पर किसी एक वरिष्ठ प्राध्यापक को प्राचार्य द्वारा नामित किया जाता है। सदस्यों का चुनाव भी अभिभावकों में से ही किया जाता है।

# 18. महिला उत्पीड़न निवारण हेतु प्रकोष्ठ

(Women's Harassment Redressal Cell)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न निवारण हेतु प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा महिला उत्पीड़न के मामलों की देख–रेख के अतिरिक्त छात्राओं के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिये प्रशिक्षण, व्याख्यान, इन्डोर गेम्स, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की सुविधा आदि का प्रावधान किया जाता है। इस प्रकोष्ठ में महिला सदस्यों की संख्या अधिक रखी जाती है।

# 19. अनुशासन एवं शास्ता मण्डल

(Discipline and Proctorial Board)

शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासन एवं स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिये उत्तरदायी है। शास्ता मण्डल का संयोजक मुख्य शास्ता (बिपमि च्तवबजबत) होता है, जिन्हें सहयोग करने हेतु प्रत्येक संकाय से एक–एक शास्ता तथा सहायक शास्ता होते हैं। महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक शास्ता मण्डल के पदेन सदस्य होते हैं। शास्ता मण्डल द्वारा समय–समय पर बनाए गये नियमों का अनुपालन करना समस्त छात्र/छात्राओं के लिये बाध्यकारी है। अनुचित आचरण करने अथवा नियमों का उल्लंघन करने पर शास्ता मण्डल सम्बन्धित विद्यार्थी को दण्डित कर सकता है। महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी किसी भी दशा में कानून विरुद्ध कार्य न करें और न ही अशान्ति फैलायें, यदि कोई शिकायत हो तो शास्ता मण्डल को लिखित सूचना दें ताकि मामले की छानबीन कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

## मुख्य अपराध :–

1. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर करना।
2. महाविद्यालय में आये किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना।
3. कक्षाओं में शिक्षण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना ।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग अथवा धमकी देना।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शान्ति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुंचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. रैगिंग करना या उसके लिये प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक जघन्य एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका है)।
7. परिसर में किसी राजनीतिक या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार–प्रसार या प्रदर्शन करना।
8. जाली हस्ताक्षर, झूठा प्रमाण पत्र या झूठा बयान प्रस्तुत करना।
9. शास्ता मण्डल के आदेशों/निर्देशों का उल्लघंन करना अथवा मानने से इन्कार करना।

## निषेध :–

1. महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन करना।
2. महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों, दरवाजों आदि पर लिखना, थूकना अथवा गन्दा करना और उन पर विज्ञापन लगाना।
3. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना/क्षति पहुंचाने का प्रयास करना।
4. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई–झगड़ा एवं मारपीट करना, अनायास शोर मचाना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना अथवा उसे बिगाड़ने का प्रयास करना।
5. कक्षाओं में चूइंगम, पान मसाला, मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करना।
6. महाविद्यालय के अधिकारी/शास्ता मण्डल/प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी का परिचय–पत्र मांगने पर इन्कार करना।
7. जो भी व्यक्ति निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको निलम्बित, अर्थदण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है।
8. **महाविद्यालय परिसर में मल्टीमीडिया फोन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। शास्ता मण्डल द्वारा कभी भी जांच के समय उक्त फोन के पाये जाने पर फोन जब्त कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।**

## अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम

1. प्रत्येक छात्र के पास परिचय–पत्र का होना आवश्यक है। जिसे परिसर में कभी भी मांगा जा सकता है, परिचय–पत्र के खोने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा डुप्लीकेट परिचय–पत्र मुख्य शास्ता से प्राप्त कर लें। 2. जिन छात्रों की गतिविधियां शास्ता मण्डल/विश्वविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है/निष्कासित किया जा सकता है/उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

3. महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी भी हड़ताल को समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जायेगा ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वतः एवं तथ्यतः निष्कासित हो जाएगा।
4. दुराचरण एवं उद्दण्डता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।

# 20. रैगिंग कानूनन अपराध

(Ragging : A Legal Offence)

कालेजों में रैगिंग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञेय अपराध की श्रेणी में स्थापित किया है। रैंगिंग एक असमाजिक, आपराधिक एवं अमानवीय कृत्य है जिसे हर दशा में रोका जाना चाहिए। इस आपराधिक कृत्य को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से इसमें संलिप्त विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। इसमें ढाई लाख रुपये तक का अर्थदण्ड भी सम्मिलित है। इसमें दोषी पाये जाने पर विद्यार्थियों के विरुद्ध रैगिंग समिति अपराध के गम्भीरता को देखते हुये निम्नलिखित कार्रवाई कर सकती है। 1. प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त किया जाना ।

2. महाविद्यालय से निष्कासन /निलम्बन किया जाना।
3. किसी अन्य संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित किया जाना।
4. प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की वापसी।
5. अपराध की प्रवृत्ति के अनुसार मुकदमा चलाया जाना भी सम्मिलित है।

## रैगिंग का तात्पर्य

किसी छात्र/छात्रा को बोलकर लिखकर, संकेत द्वारा, हाव–भाव से या शारीरिक गतिविधियों से क्षति पहुंचाना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, भौतिक रूप से कष्ट पहुंचाना नवीन प्रवेशार्थी व कनिष्ठ छात्र/छात्राओं को डराना, धमकाना उन्हें मानसिक आघात पहुंचाना, हतोत्साहित करना, परेशान करना उनके क्रियाकलापों में गतिरोध उत्पन्न करना तथा उन्हें उन कार्यों को करने के लिये बाध्य करना जिन्हें वे करना नहीं चाहते या शर्म महसूस करते हैं या जिन्हें करने में उन्हें असहजता अनुभव होती हो या उन्हें मानसिक रूप से कष्ट होता हो। इसके अतिरिक्त किसी छात्र/छात्रा को दुष्कृत्य हेतु प्रेरित करना भी इसी अपराध की श्रेणी में आता है।

## रैगिंग निरोधक समिति/रैगिंग निरोधक दस्ता

माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र सं॰ 310/04 ए॰आई॰ए॰ दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 27 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुये यू॰जी॰सी॰ एवं कुलाधिपति (महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन) के निर्देशानुसार महाविद्यालय में भी एक रैगिंग निरोधक समिति (।दजप त्ंहहपदह ब्वउउपजजमम) एवं रैगिंग निरोधक दस्ता (।दजप त्ंहहपदह ैनंक) का गठन किया जाता है, जो कि महाविद्यालय परिसर में रैगिंग सम्बन्धी किसी भी प्रकार की गतिविधि पर सख्ती से नजर रखती है तथा ऐसी किसी भी घटना पर कठोरतम् कार्रवाई हेतु सबल संस्तुति भी प्रदान करती है।

# 21. पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप

## (Co-Curricular Activities)

**1. छात्रसंघ–**छात्रसंघ चुनाव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश संख्या S.L.P. (Civil) No. 24295/2004/ दिनांक 26–6–2004 जो महाविद्यालय भारत सरकार के पत्र संख्या द्वारा अधिसूचित एवं उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 184/XXIV (6)/2007-3 (168)/2001 दिनांक 27–02–2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय के समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों, संस्थानों एवं स्व–वित्तपोषित संस्थानों पर लागू करने के अनुपालन में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर संपन्न कराये जायेंगे।

**2. राष्ट्रीय सेवा योजना–**''मैं नहीं परन्तु आप'' (Not Me But You) की भावना पर आधारित रा॰से॰यो॰ के अन्तर्गत सेवा सम्बन्धी कई गतिविधियाँ संचालित होती हैं जैसे–शिक्षा एवं मनोरंजन, आपदाओं (तूफान, बाढ़, भूकम्प, सूखा इत्यादि) के लिये कार्यक्रम, पर्यावरण को समृद्ध बनाना तथा उसकी सुरक्षा करना, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण कार्यक्रम, स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रम तथा भारत सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम वर्तमान में महाविद्यालय में रा॰से॰यो॰ की चार इकाई कार्यरत हैं, जिसके तहत 400 विद्यार्थी पंजीकृत होते हैं। इस योजना के अंतर्गत लगातार दो शिक्षण सत्रों में 240 घंटे नियमित कार्य करना होता है। नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त विशेष शिविर ('ए' प्रमाण पत्र) एवं एक दिवसीय शिविर भी आयोजित किये जाते हैं, सत्र 2004–05 से वि॰वि॰ द्वारा रा॰से॰यो॰ 'बी' व 'सी' प्रमाण पत्रों की परीक्षायें भी आयोजित की जाती है। जिन्हें उत्तीर्ण करने पर विभिन्न विभागों में रोजगार एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता/अधिमान प्रदान किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत छात्र/छात्राएं केवल दो शिक्षण सत्रों में पंजीकरण करा सकते हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष में पंजीकरण पूर्ण होने के बाद ही रिक्त स्थानों पर स्नातक प्रथम वर्ष से पंजीकरण किया जायेगा। एन॰सी॰सी॰ में पंजीकृत छात्र/छात्राएं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी बनने हेतु अर्ह नहीं है।

**3. एन॰सी॰सी॰–**महाविद्यालय में एन॰सी॰सी॰ की सीनियर डिवीजन इकाई कार्यरत है। जिसमें देश सेवा एवं सुरक्षा का प्रशिक्षण नियमानुसार भारतीय सेना के प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के 'बी' और 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले स्नातक छात्र/छात्राओं के लिये भारतीय सेना अधिकारी पद हेतु स्थान सुरक्षित है। (महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा)

**4. रोवर्स एवं रेंजर्स–**महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं में नैतिकता, सामाजिक समरसता, जनचेतना, दक्षता, सेवाभाव एवं राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने के लिये भारत स्काउट–गाइड, उत्तराखण्ड के निर्देशन में महाविद्यालय ने रोवर–रेंजर की इकाई दिनांक 30 दिसम्बर 2003 को स्थापित हुई, जिसमें रोवर्स एवं रेंजर्स के 24–24 स्थान निर्धारित हैं। इन्हें क्रमशः हिमाद्रि एवं गंगोत्री नाम से पंजीकृत किया गया है। इसके तहत समय–समय पर स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समागमों का आयोजन होता है। जिसमें इस महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया जाता हैं। इसके तहत राष्ट्रपति पदक, उपराष्ट्रपति प्रमाण पत्र सहित, प्रवेश, प्रवीण एवं निपुण के प्रमाण–पत्र प्रादेशिक/राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा प्रदान किये जाते हैं। जिनमें राजकीय सेवा एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शासन द्वारा अधिमान निर्धारित है।

**5. विभागीय परिषदें**–महाविद्यालय के समस्त विभाग अपनी–अपनी विभागीय परिषदों का गठन करते हैं। विभागीय परिषदों में छात्र/छात्राएं विभागीय शैक्षणिक सह–शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता के साथ–साथ भ्रमण आदि में प्रतिभाग करते हैं। अन्तर्विभागीय प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। विजेता प्रतिभागियों को पारितोषिक दिया जाता है।

**6. सांस्कृतिक परिषद्**–महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं में सन्निहित साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं अन्य ललित कलाओं सम्बन्धी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित एवं संवर्द्धित किया जाता है। प्रतिभावान छात्र/छात्रओं को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अथवा अन्य उच्च स्तरों पर सम्पन्न होने वाले सांस्कृतिक–साहित्यिक अयोजनों में प्रतिभाग सुनिश्चित कराने हेतु सांस्कृतिक परिषद का गठन किया जाता है।

**7. क्रीड़ा एवं खेलकूद**–**''स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है''** महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के मानसिक उन्नयन के साथ–साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। जिसके लिए पूरे सत्र के दौरान क्रीड़ा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिया संचालित की जाती है। योग्य छात्र/छात्राओं का चयन कर विभिन्न अन्तर्महाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाता है। महाविद्यालय स्तर पर वार्षिक क्रीड़ा समारोह आयोजित किया जाता है। जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का महाविद्यालय वार्षिक समारोह में पुरस्कृत किया जाता है। महाविद्यालय में एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिन्टन, बॉलीवॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, शतरंज आदि खेलों की सुविधा उपलब्ध है।

# 22. अन्य नियम

**1. रेल द्वारा यात्रा सुविधा**–शैक्षिक भ्रमण एवं दीर्घकालिक छुटिट्यों के समय छात्र/छात्राओं को अपने स्थायी आवास पर जाने तथा वहां से उत्तरकाशी लौटने के लिये रेलवे टिकट छूट की सुविधा रेलवे के नियमों के अधीन प्रदान की जाती है।

**2. प्रतिभूति राशि की वापसी**–प्रतिभूति धनराशि की वापसी छात्र/छात्राओं द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर अदेय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर की जाती है।

**3. अस्थायी/स्थाई चरित्र प्रमाण–पत्र'**–अध्ययनरत संस्थागत छात्रों को अस्थायी चरित्र प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन करने पर मुख्य शास्ता की संस्तुति के पश्चात दिया जाता है। 06 माह के पश्चात ही विद्यार्थी को दूसरा अस्थाई चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। **स्थायी चरित्र प्रमाण पत्र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के साथ निर्गत किया जाता है, इसकी मूल प्रति को सुरक्षित रखकर फोटो प्रतियां ही आवेदन पत्रों पर संलग्न की जाती है ।**

**4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र**–यह प्रमाण पत्र ₹ 01 (एक रुपया) शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करने एवं पूरित अदेय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद निर्गत किये जाते है।

**5. शुल्क रसीद**–छात्र/छात्रा को प्रवेश के पश्चात पूर्ण सत्र तक अपनी शुल्क की रसीद को सुरक्षित रखना चाहिए। परिचय पत्र प्राप्त करते समय परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय तथा प्रतिभूति धनराशि वापस लेते समय शुल्क रसीद की आवश्यकता होती है। शुल्क रसीद के खो जाने पर ₹ 50 शुल्क जमा करने के उपरान्त शुल्क रसीद की द्वितीय प्रति निर्गत की जा सकेगी।

# 23. यू0जी0सी0 रिसोर्स सेन्टर

(U.G.C. Resource Centre)

यू॰जी॰सी॰ द्वारा महाविद्यालय में रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई है। इस केन्द्र पर यू॰जी॰सी॰ की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी इण्टरनेट पर उपलब्ध करवायी जाती है।

# 24. सिस्को लोकल अकादमी

(Cisco Local Academy)

उत्तराखण्ड सरकार एवं सिस्को सिस्टम यू॰एस॰ए॰ के संयुक्त तत्वाधान में महाविद्यालय में सिस्को लोकल अकादमी की स्थापना की गई है। इस अकादमी में नवीनतम सूचना तकनीकी के सी॰सी॰एन॰सी॰ (सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट) प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की आन लाईन कक्षायें फरवरी 2005 से संचालित है। कम्प्यूटर नेटवर्किंग के इस रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम को 04 सेमेस्टरों में बांटा गया है। राज्य सरकार द्वारा पाठ्यक्रम का कुल शुल्क महाविद्यालय के संस्थागत छात्र हेतु ₹ 10,000/– तथा बाहरी छात्र हेतु ₹ 20,000/–निर्धारित किया गया है। पाठ्यक्रम शुल्क 4 किस्तों में लिया जाता है।

# 25. शिक्षा संकाय–बी0एड0

(Education Faculty-B.Ed.½

सत्र 2009–10 से महाविद्यालय में शिक्षा संकाय के अन्तर्गत स्व–वित्तपोषित बी॰एड॰ पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है जिसके लिये एन॰सी॰टी॰ई॰ जयपुर से मान्यता प्राप्त है। स्व–वित्तपोषित बी॰एड॰ पाठ्यक्रम सत्र 2015–16 से द्विवर्षीय आधार पर संचालित होगा जिसमें 50 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश उन्हीं छात्र/छात्राओं को दिये जायेंगे जिन्होंने बी॰एड॰ प्रवेश परीक्षा में अर्हता अंक प्राप्त किये हों। यह प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार दिये जाते हैं।

# 26. छात्रावास सम्बन्धी नियम

(Rules Related to Hostel)

महाविद्यालय में छात्रों के लिये एक छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। जिसमें अधिकतम 48 छात्रों को प्रवेश दिया जा सकता है। छात्राओं के आवास के लिये महाविद्यालय के पास कोई प्रबन्ध नहीं है।

## छात्रावास के लिये मान्य सामान्य नियम :–

1. छात्रावासी छात्र प्राचार्य/छात्रावास अधीक्षक के नियंत्रण के अधीन होंगे तथा उन्हें प्राचार्य/छात्रावास अधीक्षक के अनुसार कार्य करना होगा।
2. छात्रावास में प्रवेश के इच्छुक छात्र जिन्होंने महाविद्यालय की किसी कक्षा में नियमित प्रवेश प्राप्त कर लिया है, निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करेंगे।
3. भूतपूर्व छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों पर छात्रावास अधीक्षक विचार कर अपनी संस्तुति प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिनके आधार पर प्राचार्य प्रवेश स्वीकृत करेंगे, किन्तु प्रवेश सम्बन्धी

अन्तिम निर्णय प्राचार्य का होगा।

4. छात्रावास में प्रवेश योग्यता व अच्छे आचरण के आधार पर दिया जायेगा। जिन छात्रों के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी शिकायत होगी अथवा जिनका आचरण असंतोषजनक पाया जायेगा, उन्हें छात्रावास में प्रवेश नहीं मिल सकेगा।

5. छात्रावास में प्रवेश के लिये संस्तुत छात्रों की सूची सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी तथा सूचना मे दी गई निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न होने पर प्रवेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा तथा इस प्रकार बची हुई सीटों पर प्रतीक्षा सूची में से योग्यता क्रमानुसार प्रवेश स्वीकृत किए जायेंगे।

6. छात्र शुल्क जमा करने के उपरान्त कार्यालय से प्राप्त रसीद के आधार पर ही अधीक्षक की अनुमति से छात्रावास में जायें। कक्षों का आवंटन छात्रावास अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

7. छात्रावास में 90 प्रतिशत स्थान उत्तराखण्ड के छात्रों के लिये सुरक्षित होंगे। प्रत्येक छात्र को तीन सीटों वाले कक्ष में आवास के लिये सीट आवंटित की जायेगी। इस सीट के लिये फर्नीचर और सामग्री छात्र को प्रदान की जायेगी। उसके रख–रखाव एवं अन्य सामग्री की सुरक्षा के लिये वह व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होगा।

8. इसके अतिरिक्त प्रत्येक छात्रावासी अपने कक्ष में रहने वाले अन्य सह छात्रवासियों के साथ सामूहिक रुप से पूरे कक्ष में रख–रखाव एवं अन्य सामग्री की सुरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा।

9. छात्रावास में प्रतिदिन निर्धारित समय पर उपस्थिति ली जायेगी। अधीक्षक की अनुमति के बिना कोई छात्रावासी अनुपस्थित नहीं रह सकता है।

10. छात्रावास में छात्रों के साथ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं रह सकता।

11. प्रत्येक छात्रावासी अपने छात्रावासियों के प्रति सौहार्द, सद्भाव एवं सहानुभूतिपूर्वक निवास करेंगे किसी भी प्रकार का आपसी मनमुटाव, दलबंदी, संघर्ष या दूसरे के हितों में बाधा पहुंचाने या छात्रावास से भीतर बाहरी व्यक्तियों के सहयोग से उपद्रव करना, अनुशासन नियमों के प्रतिकूल समझा जायेगा और ऐसे त्रुटिकर्ता को नियमानुसार दण्ड का भागी होना पड़ेगा।

12. छात्रावास की व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिये अधीक्षक अपनी सहायता के लिये छात्रावास के पुराने एवं योग्य छात्रों को प्रीफेक्ट नियुक्त करेंगे एवं प्राचार्य तथा छात्र अपने सह छात्रावासियों तथा अधीक्षक के मध्य सम्पर्क सूत्र का कार्य करेंगे।

13. अधीक्षक एवं प्राचार्य की पूर्व अनुमति के बिना छात्रावास में किन्ही बाहरी व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया जायेगा। राजनैतिक एवं सामाजिक गतिविधियों से सम्बन्धित व्यक्ति छात्रावास में किसी दशा में नहीं आ सकेंगे। इस कृत्य के लिये दोषी छात्र को छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।

14. छात्रावास में मादक वस्तुओं का प्रयोग अथवा मादकता की अवस्था में रहना पूर्णतया वर्जित है। मद्यपान अथवा नशीली वस्तुओं के सेवन के कारण छात्रावासी को छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।

15. छात्रावास में हीटर तथा इमरज़न रॉड का प्रयोग नितान्त वर्जित है।

16. आरक्षण शासनादेशानुसार देय होगा

**नोटः–छात्रावास से सम्बन्धित अन्य नियम/निर्देश छात्रावास आवेदन पत्र में अंकित है। छात्रावासी द्वारा उनका अनुपालन आवश्यक है।**

# 27. स्वच्छ भारत अभियान

## (Mission Clean India)

**'राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान'** के अन्तर्गत महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता बनाये रखने हेतु सप्ताह में एक दिन कक्षावार प्रत्येक छात्र/छात्रा, प्रध्यापक एवं कर्मचारी स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग करेंगे। परिणामस्वरुप, महाविद्यालय परिसर स्वच्छ बने रहेंगे और इनके आस–पास के क्षेत्र भी साफ–सुथरे रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी की यह जिम्मेदारी भी होगी कि कूड़ा–करकट केवल महाविद्यालय में रखे प्लास्टिक के कूड़ेदान में ही डालें अन्यत्र नहीं फेंके तथा तम्बाकू, गुटका, खैनी तथा इनसे सम्बन्धित अन्य वस्तुओं का सेवन न करें, ताकि महाविद्यालय का पर्यावरण प्रदूषित होने से बच सके। यदि कोई व्यक्ति परिसर या इसके आस–पास गन्दगी एवं प्रदूषण फैलाते हुए पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

**'नमामि गंगे'** परियोजना के अन्तर्गत नदी–नालों एवं आस–पास के परिवेश को स्वच्छ रखा जाना है। इसमें शिक्षक/कर्मचारी/विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका सामान्यतः तथा एन॰एस॰एस॰, एन॰सी॰सी॰ एवं रोवर्स–रेंजर्स के स्वयं सेवकों की सक्रिय भूमिका विशेष रुप में निर्धारित की गई है।

# 28. अनुपालनीय बिन्दु

(अ)उत्तराखण्ड शासन के नवीनतम आदेश के आलोक में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने हेतु महाविद्यालय के मुख्य परिसर में प्रत्येक कार्यदिवस पर पूर्वाह्न 10:00 बजे तथा अपराह्न 4:00 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए राष्ट्रगान/राष्ट्रगीत का वादन किया जायेगा।

(ब) केन्द्र शासन द्वारा प्रेरित तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा अंगीकृत **'एक भारत श्रेष्ठ भारत'** अभियान को शासन के निर्देशानुसार प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जायेगा।

(स)अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन द्वारा दर्ज करायी जायेगी। शुरुआत में परास्नातक विद्यार्थियों पर इसे लागू किया जायेगा। स्नातक विद्यार्थियों हेतु बाद में निर्णय लिया जायेगा।

(द) 75 प्रतिशत उपस्थिति की बाध्यता को कठोरता से लागू किया जायेगा, महाविद्यालय के पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। अतः नये सत्र से पुस्तकों को कम्प्यूटर विधि से निर्गत किया जायेगा।

# 29. आवश्यक बिन्दु

**इस विवरणिका के नियमों में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन एवं संशोधन करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है। नये शासनादेशों की प्राप्ति पर भी तदनुसार संशोधन कर दिये जायेगें।**

# महाविद्यालय परिवार

## प्राचार्य–प्रो॰ पी॰ एस॰ मखलोगा

## प्राध्यापक वर्ग

### (A)विज्ञान संकाय

**1. भौतिक विज्ञान विभाग**

1. डॉ॰ आलोक कंडारी गेस्ट फैकल्टी
2. श्री नवीन कोहली गेस्ट फैकल्टी
2. रिक्त पद–3

**2. रसायन विज्ञान विभाग**

1. डॉ॰ डी॰पी॰ पाण्डे असिस्टेंट प्रोफेसर /विभाग प्रभारी
2. डॉ॰ कमल कुमार बिष्ट असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ॰ एम॰पी॰ तिवारी असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डॉ॰ तिलक राम असिस्टेंट प्रोफेसर
5. डॉ॰ नवभा जोशी गेस्ट फैकल्टी
6. डॉ॰ देवेन्द्र सिंह संविदा शिक्षक

**3. वनस्पति विज्ञान विभाग**

1. डॉ॰ अरुण कुमार अग्रवाल असिस्टेंट प्रोफेसर/विभाग प्रभारी
2. डॉ॰ एम॰पी॰एस॰ परमार असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ॰ जयलक्ष्मी रावत असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डॉ॰ ऋचा बधानी गेस्ट फैकल्टी
5. श्री नरेश सिंह चौहान गेस्ट फैकल्टी

**4. जन्तु विज्ञान विभाग**

1. डॉ॰ ममतेश कुमारी असिस्टेंट प्रोफेसर/विभाग प्रभारी
2. डॉ॰ आकाश मिश्रा असिस्टेंट प्रोफेसर
3. रिक्त पद–1

**5. गणित विभाग**

1. रिक्त पद–3

### (B) कला संकाय

**1. हिन्दी विभाग**

1. डॉ॰ सुरेश चन्द्र एसोसिएट प्रोफेसर/विभाग प्रभारी
2. डॉ॰ वन्दना संविदा शिक्षक
3. शीशपाल

**2. टंग्रेजी विभाग**

1. डॉ॰ मनोज फोन्दणी असिस्टेंट प्रोफेसर/विभाग प्रभारी
2. डॉ॰ विश्वनाथ राणा असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ॰ रुचि कुलश्रेष्ठ असिस्टेंट प्रोफेसर

**3. संस्कृत विभाग**

1. डॉ॰ देवेन्द्र दत्त पैन्यूली एसोसिएट प्रोफेसर/विभाग प्रभारी
2. डॉ॰ रेखा नौटियाल असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ॰ वीर राघव खण्डूड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डॉ॰ विनोद कुमार उनियाल गेस्ट फैकल्टी

**4. अर्थशास्त्र विभाग**

1. श्री प्रमोद कुमार सिंह संविदा शिक्षक
2. रिक्त पद–2

**5. भूगोल विभाग**

1. डॉ॰ नन्दी गड़िया असिस्टेंट प्रोफेसर/विभाग प्रभारी
2. डॉ॰ बचन लाल असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ॰ किरन त्रिपाठी असिस्टेंट प्रोफेसर
4. श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी गेस्ट फैकल्टी

**6. राजनीति विज्ञान विभाग**

1. डॉ॰ राखी पंचोला असिस्टेंट प्रोफेसर/विभाग प्रभारी
2. कु॰ विनीता कोहली असिस्टेंट प्रोफेसर
3. रिक्त पद–1

**7. इतिहास विभाग**

1. श्री रमेश सिंह संविदा शिक्षक
2. श्री अरविन्द सिंह रावत गेस्टफैकल्टी
3. श्री धनेश कुमार उनियाल गेस्टफैकल्टी

**8. समाज शास्त्र विभाग**

1. डॉ॰ आर॰एस॰ रावत एसोसिएट प्रोफेसर/विभाग प्रभारी
2. डॉ॰ ऊषा नेगी असिस्टेंट प्रोफेसर
3. श्री विजयानन्द गेस्ट फैकल्टी

**9. गृह विज्ञान विभाग**

1. कु॰ प्रीति बर्त्वाल गेस्ट फैकल्टी
2. कु॰ देवयानी लिंगवाल गेस्ट फैकल्टी
3. रिक्त पद–1

**10. चित्रण–रंजन विभाग**

1. डॉ॰ मधु बहुगुणा गेस्ट फैकल्टी
2. रिक्त पद–2

**11. संगीत विभाग**

1. रिक्त पद–1

**12. शारीरिक शिक्षा विभाग**

1. श्री सुरेन्द्र सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर/विभाग प्रभारी

### (C) वाणिज्य संकाय

1. श्री दिवाकर बौद्ध असिस्टेंट प्रोफेसर/विभाग प्रभारी
2. श्री सौरव रावत संविदा शिक्षक
3. कु॰ सृष्टि गेस्ट फैकल्टी
4. कु॰ रोशनी रावत गेस्ट फैकल्टी
5. रिक्त पद–1

### (D) शिक्षा संकाय (बी॰एड॰)

1. डॉ॰ दिनेश कुमार सिंह विभागाध्यक्ष (संविदा)
2. डॉ॰ छीपक भण्डारी प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा(संविदा)
3. श्री चन्द्रमोहन कोटनाला प्रवक्ता गणित (संविदा)
4. श्री हरीश कुमार यादव प्रवक्ता हिन्दी (संविदा)
5. श्री पंकज पन्त प्रवक्ता अंग्रेजी (संविदा)
6. श्रीमती ऋतु प्रवक्ता जीव विज्ञान (संविदा)
7. श्रीमती सुषमा प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान (संविदा)
8. रिक्त पद–2

# शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग

| 1. कार्यालय | |
|---|---|
| 1. श्री गोपेश्वर प्रसाद नौटियाल वरिष्ठ | प्रशा॰ अधिकारी |
| 2. श्री हरीश बिजल्वाण | कनिष्ठ सहायक |
| 3. श्री गजेन्द्र सिंह पडियार | कनिष्ठ सहायक (उपनल) |
| 4. श्री सत्येन्द्र सिंह | कनिष्ठ सहायक (उपनल) |
| 5. श्री विकास राणा | इलैक्ट्रेशियन (उपनल) |
| 6. श्री जयन्ती प्रसाद | दफ्तरी |
| 7. श्री रामचन्द्र नौटियाल | माली |
| 8. श्री जीतू | स्वच्छक |
| 9. श्री रणवीर सिंह नेगी | चौकीदार |
| 10.श्री देवेन्द्र सिंह चौहान | अनुसेवक |
| 11.श्री केन्द्र सिंह | चौकीदार |
| 12 श्री शार्दुल सिंह बिष्ट | अर्दली |
| 13.श्री गिरवीर सिंह | अनुसेवक |
| 14.श्री रविन्द्र सिंह | अनुसेवक |
| 15.श्री यशवन्त सिंह | अनुसेवक (उपनल) |
| 16.श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान | अनुसेवक (पी॰आर॰डी॰) |
| 17.श्री दीपक बिष्ट | अनुसेवक (पी॰आर॰डी॰) |
| 18.श्री राजेश कुमार | स्वच्छक (पी॰आर॰डी॰) |
| 19.रिक्त पद–1 | प्रशासनिक अधिकारी |
| 20.रिक्त पद–1 | वैयक्तिक सहायक |
| 21.रिक्त पद–03 | प्रधान सहायक |
| 22.रिक्त पद–03 | प्रवर सहायक |
| **2. पुस्तकालय** | |
| 1. रिक्त पद–01 | पुस्तकालयाध्यक्ष |
| 2. रिक्त पद–02 | पुस्तकालय सहायक |
| 4. श्री मायाराम | बुक लिफ्टर |
| 5. मोहम्मद अकबर | अनुसेवक |
| **3. भौतिक विभाग** | |
| 1. श्री परमानन्द नौटियाल | प्रयोगशाला सहायक |
| 2. श्री रघुवीर सिंह रावत | प्रयोगशाला सहायक (उपनल) |
| 3. श्री चन्द्र सिंह | अनुसेवक |
| 4. श्री सुन्दर लाल | प्रयोगशाला अनुसेवक |

| 4. रसायन विज्ञान विभाग | |
|---|---|
| 1. श्री विनोद कुमार शाह | प्रयोगशाला सहायक |
| 2. श्री रतन लाल शाह | प्रयोगशाला सहायक |
| 3. श्री विनोद सिंह | प्रयोगशाला अनुसेवक |
| 4. श्री आमोद प्रसाद भट्ट | प्रयोगशाला अनुसेवक (उपनल) |
| **5. जन्तु विज्ञान विभाग** | |
| 1. राकेश नौटियाल | प्रयोगशाला सहायक (उपनल) |
| 2. रिक्त पद–1 | प्रयोगशाला सहायक |
| 3. श्री कृष्णानन्द डंगवाल | प्रयोगशाला अनुसेवक |
| 4. श्री अरविन्द सिंह बिष्ट | प्रयोगशाला अनुसेवक (उपनल) |
| **6. वनस्पति विज्ञान विभाग** | |
| 1. श्री शिव लाल | प्रयोगशाला सहायक |
| 2. श्री नदीम अहमद | प्रयोगशाला सहायक (उपनल) |
| 3. श्री रघुवीर सिंह नेगी | प्रयोगशाला अनुसेवक |
| 4. रिक्त पद–1 | प्रयोगशाला अनुसेवक |
| **7. भूगोल विभाग** | |
| 1. श्रीमती बबीता रावत | प्रयोगशाला सहायक (उपनल) |
| 2. श्री भुजबल सिंह नाथ | प्रयोगशाला अनुसेवक |
| **8. गृह विज्ञान विभाग** | |
| 1. रिक्त पद–01 | प्रयोगशाला सहायक |
| 2. श्रीमती रचना राणा | प्रयोगशाला अनुसेविका |
| **9. चित्रकला विभाग** | |
| 1. श्री केदारनाथ भट्ट | प्रयोगशाला अनुसेवक |
| **10. संगीत विभाग** | |
| 1. श्री प्रदीप बिष्ट | तबला वादक (उपनल) |
| 2. श्री राकेश प्रसाद बडोनी | प्रयोगशाला अनुसेवक (उपनल) |
| **शिक्षा संकाय (बी॰एड॰)** | |
| 1. श्री भीम सिंह | पुस्तकालयाध्यक्ष (उपनल) |
| 2. श्रीमती पूनम नेगी | कार्यालय सहायक (उपनल) |
| 3. श्री सोहनपाल भण्डारी | कार्यालय सहायक (उपनल) |
| 4. श्रीमती अनीता रावत | स्टोर कीपर (उपनल) |
| 6. श्री गोपेश्वर प्रसाद भट्ट | अनुसेवक (उपनल) |
| 7. श्री मामराज सिंह चौहान | अनुसेवक (उपनल) |